न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट नं0–2, जौनपुर।

उपस्थित– पशुपति नाथ मिश्रा (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या– 281/2015

रजिस्ट्रेशन नं0– 290/2015

सीएनआर.नं0–यूपीजेपी.010040552015

राज्य **प्रति** 1. खुर्शीद पुत्र स्व0 अयाज निवासी–उमराना (चौक) कस्बा–मछलीशहर, थाना–मछलीशहर, जिला जौनपुर।

2. रूकसाना पत्नी स्व0 अयाज निवासी–उमराना (चौक) कस्बा–मछलीशहर, थाना–मछलीशहर, जिला जौनपुर।

मु0 अ0 सं0–251/2015

धारा–498ए, 304बी., 302/34 भा0द0सं0

एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,

थाना–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर,

<u>निर्णय</u>

1. अभियुक्तगण खुर्शीद तथा रूकसाना के विरूद्ध प्रस्तुत सत्र परीक्षण, पुलिस थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर द्वारा मु0 अ0 सं0–251/2015, धारा–498ए, 304बी., भा0 द0 सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रेषित आरोप पत्र एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा दिनांक 03.09.2015 को सत्र सुपुर्द किये जाने के आधार पर अन्तरण के माध्यम से प्राप्त होने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा आरोपित एवं परीक्षित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी आफताब आलम पुत्र मो0 हुसैन निवासी मौजा–लालानगर, थाना गोपीगंज, जिला–भदोही द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–1 दिनांक 16.04.2015 को समय 9.30 बजे थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसने अपनी लड़की रेशमा की शादी दिनांक 07.11.2012 को खुर्शीद पुत्र स्वर्गीय अयाज निवासी मो0–चौक मछलीशहर के साथ किया था और शादी के बाद हीरो सुपर स्पेलेण्डर की मांग करते रहे तथा न देने पर मेरी लड़की को सताते थे। मेरी लड़की कईबार इस बात को बताया था कि उसके पति खुर्शीद, देवर सहवाज, ननद साइना व सगुफा व सास रूकसाना मोटर साईकिल न देने पर मारपीट व गाली गलौज व ताने देते है। मैं और मेरी पत्नी समझाते रहे कि हम समझा देगे कि सब ठीक हो जायेगा, लेकिन मोटर साईकिल न देने पर हमेशा धमकी देते रहते थे जिसके बारे में लड़की रो–रोकर बताती थी। दिनांक 15.04.2015 को समय करीब 8.00 बजे शाम टेलीफोन से सूचना मिली कि मेरी लड़की रेशमा बहुत बीमार है तुरन्त चले आइये तो मैं व मेरी पत्नी श्रीमती सकीला, समधी रमजान, चाचा बरकत, सैयद अली व अपने साले मुसलीम अंसारी निवासी बरसठी जिला जौनपुर के साथ रात 11.00 बजे अपनी लड़की रेशमा के ससुराल आये तो

Digitally signed by PASHUPATI NATH MISHRA
Date: 2026.07.10 17:31:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Jaunpur

देखा कि मेरी लड़की की लाश चारपाई पर रखी हुयी है। मेरी लड़की को उसके पति खुर्शीद, देवर सहबाज, ननद साइना व सगुफा व सास रूकसाना ने दहेज में मोटर साईकिल न देने पर मार डाले है। घटना दिनांक 15.04.2015 को समय 4.00 बजे शाम की है। अतः रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही की जाय।

3. वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–1 के आधार पर सम्बंधित थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 251/2015, धारा 498ए, 304बी. भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तगण खुर्शीद (पति), सहबाज (देवर), साइना व सगुफा (ननद) एवं रूकसाना (सास) के विरूद्ध प्रदर्श क–12 के रूप में पंजीकृत की गयी, जिसका विवरण जी0 डी0 के कायमी प्रदर्श क–13 में अंकित किया गया।

4. दहेज हत्या में अभियोग पंजीकृत होने के बाद उक्त मामलें में विवेचना क्षेत्राधिकारी मछलीशहर, जौनपुर राम प्रसाद सिंह द्वारा की गई और दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर दृष्टि मानचित्र प्रदर्श क–14 तैयार किया गया तथा मृतका के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–4 नायब तहसीलदार मछलीशहर जौनपुर अरविन्द कुमार मिश्र द्वारा तैयार करते हुये उससे सम्बंधित प्रपत्र पुलिस फार्म नं0–379 प्रदर्श क–5, नमूना मोहर प्रदर्श क–6, पुलिस फार्म नं0–33 प्रदर्श क–8, पुलिस फार्म नं0–13 प्रदर्श क–9, प्रतिसार निरीक्षक के पत्र प्रदर्श क–10, फर्द लेने कब्जा पुलिस दुपट्टा व रस्सी प्रदर्श क–11 तैयार करते हुये शव को पोस्टमार्टम हेतु कांस्टेबिल द्वारा भेजा गया जहॉ पर मृतका के शव का पोस्टमार्टम दिनांक–16.04.2015 को समय 4.50 से 5.25 पी0 एम0 पर डा0 एस0 पी0 नारायण द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व फोटोलाश प्रदर्श क–3 पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्तगण खुर्शीद एवं रूकसाना के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–15 मु0 अ0 सं0–251/2015, अंतर्गत धारा 498ए, 304बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का न्यायालय मे प्रेषित किया गया। जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा संज्ञान लिये जाने के उपरान्त धारा 207 द0 प्र0 सं0 के अनुपालन में अभियुक्तगण खुर्शीद एवं रूकसाना को अभियोजन प्रपत्रों की प्रति प्राप्त कराके दिनांक 03.09.2015 को अभियुक्तगण खुर्शीद व रूकसाना से सम्बन्धित प्रकरण विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया और अन्तरण के माध्यम से उक्त सत्र परीक्षण विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. दिनांक 23.11.2015 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को आरोप के विन्दु पर विस्तार पूर्वक सुनने के उपरान्त मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण खुर्शीद एवं रूकसाना के विरूद्ध धारा–498ए, 304बी. भा0 द0 सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं विकल्प में 302/34 भा0 द0 सं0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुये उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को विरचित आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरचित आरोप से इनकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र साबित कराये गये है—

प्रदर्श कमांक	**विवरण**	**साबितकर्ता साक्षी**
प्रदर्श क—1	लिखित तहरीर	पी0 डब्लू0—1
प्रदर्श क—2	मृतका रेशमा का पी0 एम0 रिपोर्ट	पी0 डब्लू0—4
प्रदर्श क—3	फोटो लाश	पी0 डब्लू0—4
प्रदर्श क—4	पंचायतनामा	पी0 डब्लू0—5
प्रदर्श क—5	पुलिस फार्म नं0 379	पी0 डब्लू0—5
प्रदर्श क—7	नमूना मोहर	पी0 डब्लू0—5
प्रदर्श क—8	आरक्षी प्रपत्र सं0—33	पी0 डब्लू0—5
प्रदर्श क—9	पुलिस फार्म सं0—13	पी0 डब्लू0—5
प्रदर्श क—10	प्रतिसार निरीक्षक पत्र	पी0 डब्लू0—6
प्रदर्श क—11	फर्द लेने कब्जा पुलिस दुपट्टा व रस्सी	पी0 डब्लू0—6
प्रदर्श क—12	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0 डब्लू0—7
प्रदर्श क—13	कायमी जी0 डी0	पी0 डब्लू0—7
प्रदर्श क—14	नक्शा नजरी	पी0 डब्लू0—8
प्रदर्श क—15	आरोप पत्र	पी0 डब्लू0—8
वस्तु प्रदर्श—1	विवाह पत्र	पी0 डब्लू0—1
वस्तु प्रदर्श—2	निकाहनामा प्रमाण पत्र	पी0 डब्लू0—1

7. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये है—

साक्षी कमांक	**साक्षी नाम**	**साक्षी का विवरण**
पी0 डब्लू0—1	आफताब आलम	वादी / शिकायतकर्ता
पी0 डब्लू0—2	मो0 मुस्लिम	परिस्थितिजन्य साक्षी
पी0 डब्लू0—3	अमीन अंसारी	पंचायतनामा साक्षी
पी0 डब्लू0—4	डा0 एस0 पी0 नारायण	विशेषज्ञ साक्षी
पी0 डब्लू0—5	अरविन्द कुमार मिश्र	पंचायतनामा साक्षी
पी0 डब्लू0—6	एस0 आई0 विनय कुमार सिंह	औपचारिक साक्षी
पी0 डब्लू0—7	हेड कां0 रणजीत यादव	औपचारिक साक्षी
पी0 डब्लू0—8	राम प्रसाद सिंह यादव	अनुसंधान साक्षी

8. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0—1 आफताब आलम (वादी मुकदमा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मेरे चार लड़की राबिया, साबिया, रेशमा (मृतका), आसमा व तीन लड़के वसीम, समीर एवं आमीर है। रेशमा की शादी दिनांक 07.11.2012 को खुर्शीद पुत्र आयाज निवासी मो0—चौक मछलीशहर, जिला जौनपुर के साथ हुयी थी। मेरी लड़की शादी में बिदा होकर ससुराल गयी। दूसरे दिन बिदा होकर पुनः मायके आयी। मायके से ससुराल व ससुराल से मायके 10—15 बार आयी गयी। रेशमा जब भी ससुराल से मायके आती थी तो बताती थी कि सुपर स्पेलेण्डर मोटर साईकिल की मांग को लेकर पति खुर्शीद, देवर सहबाज, ननद शाहिना व सगुफा,

सास रूकसाना मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। मेरी लड़की जब भी मायके आती थी तो परिवार वालों से रो–रोकर बताती थी कि उपरोक्त ससुरालीजन उक्त दहेज की मांग करते है। वह अपनी लड़की को समझा बुझाकर बिदा कर देता था। जब मेरी लड़की ससुराल में रहती थी ससुराल से फोन से मुझसे व परिवार वालों से बताती थी कि उपरोक्त ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग वाली बात बताती थी। मैं जाकर अपनी लड़की के ससुरालीजन को समझा बुझाकर कि अब दहेज देने की मेरी हैसियत नहीं है। दिनांक 14.04.2015 को मेरी बेटी से फोन से बताया कि पापा अगर आप नहीं आते हो तो ये लोग दहेज के लिये कुछ भी कर देगे। इसके बाद मैने बताया कि मैं शादी में व्यस्त हूं बाद में आऊंगा। घटना दिनांक 15.04.2015 को समय करीब 4.00–5.00 बजे शाम को किसी पड़ोसी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी रेशमा की तबियत बहुत खराब है आपलोग तुरन्त चले आइये। इस सूचना पर मैं व मेरी पत्नी शकीला व समधी रमजान चाचा बरकत व सैयद अली के साथ समय करीब 11.00 बजे उसके ससुराल पहुंचा तो देखा कि मेरी लड़की रेशमा का शव चारपाई पर रखा हुआ था। जब मैं पहुंचा तो रेशमा के घर वाले मौजूद थे। वहॉ मैं पड़ोसियों से पूंछा तो बताये कि रोज मारपीट करते थे। आज करीब 4.00 बजे शाम के मेरे दामाद खुर्शीद व उसके परिवार वाले दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मेरी लड़की को फांसी पर लटका कर मार डाले। मैने एक प्रार्थना पत्र लिखकर थाना मछलीशहर जौनपुर को दिया था जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली का0 सं0–3क/4 को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया जो प्रदर्श क–1 है। विवेचना के दौरान मैंने शादी कार्ड व निकाहनामा विवेचक को दिया था जो शामिल पत्रावली का0 सं0–15क, व 16क है जिस पर वस्तु प्रदर्श क–1 व वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। विवेचक ने मेरे निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

9. इसी साक्षी ने **जिरह** में कथन किया है कि मैं अपने पिता का अकेला लड़का हूं। मैं अपनी जन्मतिथि नहीं बता सकता। मेरे कुल 7 बच्चे है। मेरी शादी किस सन् व तारीख को हुयी मैं नहीं बता सकता। रेशमा के शादी के अगुआ मेरी सढ़ुआइन थी सढ़ुआइन का नाम मुझें याद नहीं है। सढ़ुआइन मेरी औरत की बहन नहीं थी गांव की थी। सढ़ुआइन जो शादी की अगुआ थी वह खुर्शीद के रिश्तेदारी में नहीं थी। सढ़ुआइन सरायडीह की है। उनके मकान से खुर्शीद का मकान आधा किलोमीटर दूर है। मैने सढ़ुआइन से यह नहीं पूछा था कि आप खुर्शीद को कैसे जानती है लेकिन जब पूछा था तो उन्होंने बताया था कि गंव के है इसलिये जानती हूं। किस तारीख को सढ़ुआइन ने मुझे खुर्शीद के बारे में बताया था याद नहीं है। मैने सी.ओ. को बताया था कि शादी की अगुआ कौन थी जिसने रेशमा की शादी कराया था। गवाह को धारा 161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यदि उक्त बात मेरे बयान में नहीं लिखी गयी है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। शादी का कार्ड मैने जय बजरंग प्रेस से छपवाया था। कार्ड छपवाने की तारीख मुझे नहीं पता। इसकी कोई रसीद मेरे पास नहीं हे। सी.ओ. को मैने प्रिटिंग प्रेस का नाम नहीं बताया था और न ही कोई रसीद दी थी। निकाहनामा कौन पढ़ाया था उस मौलवी का नाम मुझे नहीं मालुम। मेरी तरफ से निकाह में कौन–2 गवाह था मुझे नाम नहीं मालुम। सी.ओ.

को भी उस मौलवी और गवाहो के बारे में नहीं बताया। निकाह के पूर्व मैं खुर्शीद के घर रिश्ते की बात करने गया था, किस तारीख को और कितनी बार गया था मुझें नहीं पता। खुर्शीद को मैने और मेरे परिवार वाले सब लोग खुर्शीद को निकाह से पहले देखे थे। मैने खुर्शीद से निकाह के लिए हामी इसलिये भर दी कि खुर्शीद अच्छा कमाता था। सी.ओ. को मैने बताया था कि खुर्शीद अच्छा खाता–पीता कमाता है इसलिये मैने शादी तय की। रेशमा को देखने खुर्शीद के परिवार वाले आये थे। देखते ही रेशमा को खुर्शीद के परिवार वालों ने हामी भर दी और निकाह तय हो गया। हमलोग खुर्शीद एवं परिवार वालों से पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद निकाह रेशमा का खुर्शीद से कर दिये। निकाह में कुल दो–ढाई सौ बराती आये थे। निकाह का सारा कार्यक्रम घर से हुआ था। उसने बरातियों की बड़ी अच्छी खातिरदारी की थी। शादी में की गयी खातिरदारी से खुर्शीद ओर उसके परिवार वाले काफी खुश थे। निकाह के दिन व उसके पश्चात खुर्शीद व उसके परिवार वाले रेशमा को विदा कराकर खुशी–2 अपने घर ले गये। मेरी लड़की निकाह के दूसरे दिन खुशीद के साथ ससुराल से विदा होकर मायके आयी थी। यह मुझें याद नहीं है कि ससुराल से आने के बाद रेशमा कितने दिन मायके में रही। मायके से खुर्शीद के पिता विदा कराकर रेशमा को उसके ससुराल ले गये। निकाह के पश्चात और मरने के पूर्व रेशमा 20–25 बार ससुराल से मायके व मायके से ससुराल आयी गयी थी। किस–2 तारीख को रेशमा ससुराल से मायके व मायके से ससुराल आयी गयी थी मुझें यद नहीं है। जो नियत तारीख होती थी उसी नियत तारीख को विदा होकर आती जाती थी। यह कहना सही है कि रेशमा का जब मन करता था वह मायके आती थी हम लोगों से मिलती थी और वापस ससुराल चली जाती थी। कोई विशिष्ट तिथि मैं दहेज मांगेन की नहीं बता सकता परन्तु शादी के बाद ही दहेज की मांग करने लगे थे। मैने दहेज मांगने के बाबत घटना के पूर्व कोई प्रार्थना पत्र किसी अधिकारी को नहीं दिया। मैने मुल्जिमान द्वारा दहेज मांगने के बाबत कोई पंचायत नहीं किया। शादी के कितने दिन बाद मुझसे मेरी लड़की से दहेज मांगने की बात मुल्जिमान द्वारा की गयी मैं नहीं बता सकता हूं। रेशमा का मोबाइल नंबर मुझें थोड़ा याद है 7054 और आखिर में 956 था पूरा याद नहीं है। मैने तहरीर प्रदर्श क–1 में यह नहीं लिखा था कि ''जब मेरी लड़की ससुराल में रहती थी तो ससुराल से फोन से मुझसे व परिवार वालों से बताती थी कि उपरोक्त ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग वाली बात बताती थी''। मेरी लड़की ने फोन से किस तारीख को दहेज मांगने वाली बात बतायी थी वह तारीख मैने सी0 ओ0 को नहीं बतायी थी। मैने दौरान विवेचना विवेचक को यह बयान दिया था कि'' मेरी आर्थिक स्थिति मोटर साईकिल देने के काबिल नहीं थी इसी कारण अपनी लड़की की शादी खाते–पीते सामान्य परिवार में किया था''। मै किन–2 तारीखों को ससुराल जाकर मुल्जिमान को दहेज न मांगने के लिए समझाया बुझाया था तिथि नहीं बता सकता। यह सही है कि मैने अपने तहरीर प्रदर्श क–1 में यह बात नहीं लिखाया है कि'' मैं जाकर अपनी लड़की के ससुरालीजन को समझा बुझाकर अब मेरी हैसियत दहेज देने की नहीं है''। उपरोक्त बात मैने सी.ओ. को भी दौरान विवेचना नहीं बताया था। दिनांक 14.04.2015 को शाम 4–5 बजे फोन आया था, किस नम्बर से फोन आया था मैं नहीं बता सकता। मैने अपने तहरीर प्रदर्श क–1 में यह नहीं लिखा है कि'' दिनांक 14.04.15 को मेरी बेटी ने

फोन से बताया कि पापा अगर आप नहीं आते हो तो ये लोग दहेज के लिये कुछ भी कर देगे''। मुझें ध्यान नहीं है कि उपरोक्त बात मैने सी.ओ. साहब से बताया था या नहीं। गवाह को धारा 161 द0 प्र0 सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उपरोक्त बाते मेरे बयान में नहीं है। मैने अपनी तहरीर में यह नहीं लिखवाया था कि मैं दिनांक 14.04.15 को शादी में व्यस्त था लेकिन मैने विवेचक को बताया था, उसका धारा 161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि शादी में व्यस्त होने की बात उसके बयान में क्यों नहीं लिखी इसकी वजह नहीं बता सकता। दिनांक 14.04.15 को मैं जिसकी शादी में व्यस्त था उसका शादी कार्ड मैं दाखिल नहीं किया हूं, दाखिल कर सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं दिनांक 14.04.15 को रेशमा के फोन आने की बात कानूनी राय मशविरे से न्यायालय में पहली बार बता रहा हूं। फोन आने के बाद मैने परिवार व रिश्तेदार के किसी सदस्य या किसी अन्य को रेशमा के ससुराल नहीं भेजा तथा खुर्शीद को व उनके परिवार वालों को मैने फोन करक बात भी नहीं किया। यह कहना सही है कि दिनांक 14.04.15 को रेमा का फोन आने के डिटेल मोबाईल में विवेचक को नहीं दिखाया था। निकाह के समय खुर्शीद के अब्बा मो0 ऐयाज जिन्दा थे। अयाज मुम्बई में बैग बनाने व बेचने का काम करते थे। मदनपुर में रहते थे मैं वहां गया था। खुर्शीद मुम्बई में रहकर अयाज के काम में सहयोग करते थे। अयाज को रेशमा के निकाह के एक साल बाद कैंसर हुआ था। मुझें यह नहीं मालुम कि अयाज का इलाज भिन्डी बाजार के हास्पिटल में हुआ था या नहीं, केवल यह पता है कि बम्बई में इलाज हुआ था। मुझें नहीं मालुम कि अयाज का इलाज इलाहाबाद में हुआ था या नहीं। अयाज को बीमार रहने के दौरान हमलोग देखने गये थे। बीमार रहने व मरने के बीच मैं देखने आया जाया करता था। अयाज की मृत्यु किस सन् में हुयी नहीं मालुम। अयाज के मरने पर मिट्टी में कपड़ा वगैरह लेकर गये थे। उनके मिट्टी व दफन वगैरह में शामिल हुआ था। शब्बीर के लड़के जावेद की शादी में मैं व मेरी औरत सकीरा शिरकत की थी। शब्बीर अयाज के सगे चाचा है। मैं शादी में गया था और दो दिन खुर्शीद के घर रूका था। खुर्शीद के घर पर खातिरदारी हुयी थी, मीट बनी थी व मीट खिलाये थे। रेशमा के मरने की सूचना दिनांक 15.04.15 को शाम 4–5 बजे मिली थी। किसी पड़ोसी ने सूचना दिया था। कितने नम्बर से फोन आया था नम्बर याद नहीं है। जिस नम्बर से फोन आया था वह मैने अपने तहरीर में नहीं लिखा था। विवेचक को भी नम्बर नहीं बताया था। खुर्शीद के किसी भी पड़ोसी को मैने अपना नम्बर नहीं दिया था। उस पड़ोसी ने न तो अपना नाम बताया न मैने उसका नाम पूछा। यह कहना गलत है कि मैं झूंठ बोल रहा हूं। यह भी कहना गलत है कि मुझें रेशमा के मरने की सूचना खुर्शीद के परिवार के किसी व्यक्ति ने दिया था। मैं रेशमा के घर के लिये 8.00 बजे लगभग निकला था। मार्शल गाड़ी करके आये थे। मैं व मेरी पत्नी शकीला बेगम गये थे चाचा बरकत अली, सैयद अली, समधी रमजान व साला मुस्लिम को लेकर गये थे। मेरी शादी बरसठी बड़नपुर में हुयी है। मेरे घर से 50 किमी0 की दूरी पर मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल से रेशमा के ससुराल कोई नहीं आया था। मेरे घर से लगभग 70–75 किमी0 रेशमा के ससुराल है। रेशमा के ससुराल जाते समय थाने पर सूचना देने मैं नहीं गया था। रेशमा के ससुराल जब पहुंचा वहॉ काफी भीड़ इकट्ठी थी। रेशमा के ससुराल पुलिस वाले नहीं

आये थे। जब मैं रेशमा के ससुराल पहुंचा वहॉ पर कौन—2 पड़ोसी लोग मौजूद थे नाम नहीं बता सकता। रेशमा की लाश आगे से दूसरे कमरे में रखी थी।

इसी साक्षी ने जिरह में आगे यह भी कथन किया है कि मैने अपने दरख्वास्त में '' वहॉ मैं पड़ोसी से पूछा........मेरी लड़की को फांसी से लटका कर मार डाला '' तहरीर प्रदर्श क—1 में लिखा था। गवाह को उसका तहरीर प्रदर्श क—1 पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा उपरोक्त बाते मेरे तहरीर प्रदर्श क—1 में कैसे नहीं लिखी है मैं कोई वजह नहीं बता सका। मुझें याद नहीं कि मैने उपरोक्त बाते दौरान विवेचना सी.ओ. को बताया था या नहीं। गवाह को बयान धारा 161 द0प्र0 सं0 पढ़कर सुनाया गया उसमें उपरोक्त बाते नहीं लिखी है। उपरोक्त बाते मुझें कौन पड़ोसी बताया था मैं नाम नहीं बता सकता। उन पड़ोसियों को मैने विवेचक से नहीं मिलवाया था। यह कहना गलत है कि मैं झूंठ बोल रहा हूं कि पड़ोसियों ने मुझें उपरोक्त बाते बतायी थी। शहजाद मुम्बई में रहते है। शहजाद को नन्हें भी कहते है। वह कहॉ रहते है मुझें नहीं मालुम। मुझें यह भी नहीं मालुम कि रेशमा खुर्शीद के साथ मुम्बई में रहना चाहती थी या नहीं। घटना के कुछ दिन पहले खुर्शीद शादी में सम्मिलित होने के लिये मुम्बई से अपने घर आया था। मुझें यह नहीं मालुम है कि रत्नागिरी एक्सप्रेस से 3अप्रैल को मुम्बई अपने भाई के साथ वापस चला गया। भाई शहबाज और खुर्शीद के बुआ की बहू वापस मुम्बई गये थे मुझं यह नहीं मालुम। मुझें यह भी नहीं मालुम कि रेशमा के टिकट पर खुर्शीद के बुआ की बहु मुम्बई गयी थी। मुझें नहीं मालुम कि शहजाद मेरे भाई चचेरे ने कमरा किराये पर खुर्शीद और रेशमा के लिये तय किया था। मुझें यह नहीं मालुम कि किराये का कमरा न मिलने के कारण रेशमा खुर्शीद के के साथ मुम्बई नहीं जा सकी। मुझें यह भी नहीं मालुम कि इस बात से रेशमा काफी नाराज व क्षुब्ध हो गयी। मुझें यह भी नहीं मालुम कि मुम्बई न जाने की नाराजगी के कारण उसने आत्महत्या कर लिया हो। मुझें यह भी नहीं मालुम कि खुर्शीद ने घटना के कुछ देर पहले मुम्बई में वेस्टन यूनियन से अपने वोटर आई0 डी0 और मोबाईल नंबर पर रूपया निकाला था जिसे उसके भाई जमशेद ने सउदी अरब से भेजा था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने मुझसे व मेरी लड़की रेशमा से दहेज की कोई मांग नहीं किया था। यह भी कहना गलत है कि दहेज की मांग को लेकर मुल्जिमान ने कभी भी रेशमा को किसी भी प्रकार का कोई प्रताड़ना नहीं पहुंचाया था। यह भी कहना गलत है कि मेरी लड़की रेशमा ने मुम्बई न जाने के कारण क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लिया हो, यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में कानूनी न्याय व मशविरा से झूंठा बयान दिया है।

10. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0—2 मो0 मुस्लिम (मृतका का मामा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मेरी भान्जी रेशमा की शादी दिनांक 07.11.2012 को खुर्शीद के साथ हुयी थी। शादी में दहेज का पूरा सामान टी.वी., फ्रिज, बेड, कूलर व बर्तन वगैरह व बाक्स आलमारी आदि दिया गया था। मैं शादी में सरीक था। शादी में बिदा होकर रेशमा ससुराल गयी। उस समय ससुराल में सब ठीक—ठाक था। जबतक खुर्शीद के पिता जीवित थे तबतक सब ठीक—ठाक था। उनके पिता आयाज की मृत्यु के बाद रेशमा के ससुराल के पति खुर्शीद, सास रूकसाना, देवर सहवाज, ननद सगुफा व साइना मोटर साईकिल की माग को लेकर मारते पीटते थे व

प्रताड़ित करते थे, यह बात मुझसे भी रेशमा बताती थी और अपने मायके वालों से भी बताती थी। घटना दिनांक 15.04.2015 की है रात 8.30 बजे रात शबनम जो इस शादी की अगुआ थी जो उसकी ससुराल के बगल की है ने फोन करके मुझें बताया कि मोटर साईकिल न देने का नतीजा आकर देख लीजिए उसको उसके ससुराल वाले मार डाले। उसके बाद मैं मछलीशहर पहुंचे मेरे चाचा व बहनोई वगैरह भी थोड़ी देर बाद पहुंचे तो रेशमा को मृत अवस्था में बगल के कमरे में चारपाई पर लेटाये थे। उनके घर पर केवल रूकसाना सास मौजूद थी और कोई नहीं था। रूकसाना से मैने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। रूकसाना पान खाकर गुलगुला रही थी कही कि जो है आपके सामने है। मैने पूछा आप कहॉ थी तो कही मैं मुहल्ले में चली गयी थी, मैने पूछा और सब, तो बतायी कि सब मुहल्ले में चले गये थे कोई घर पर नीं था। मैने लाश को देखा था। लाश पर दाहिने हाथ पर ब्लड का निशान था और कही मैने नहीं देखा। पुलिस को सूचना गयी तब पुलिस आयी। उसके बाद लाश हमलोग अपनी सुपुर्ददगी में लेकर गोपीगंज लालनगर ले जाकर दफन किये इनके ससुराल का कोई भी व्यक्ति न तो पोस्टमार्टम में था और न ही दफन में था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

11. इसी साक्षी ने **जिरह** में कथन किया है कि मृतका मेरी सगी भान्जी है। आफताब के ससुर का नाम मुझें नहीं मालुम। आफताब की ससुराल मेरे यहॉ भी है और सरायडीह भी है। आफताब एक ही शादी किये है। शकीला सरायडीह की रहने वाली है। यह कहना गलत है कि मृतका मेरी सगी भान्जी नहीं थी। शादी के अगुआ शबनम के पति का नाम नहीं बता सकता। शबनम का मकान किस मोहल्ले में है नहीं बता सकता, खुद कहॉ कि टाकीज के बगल में है। शबनम के मकान का मोहारा उत्तर व पश्चिम दोनों तरफ है। शबनम को कितने बच्चे है नहीं बता सकता। शबनम के पड़ोस में किसके–2 मकान है नहीं बता सकता। शबनम के यहॉ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरे घर से व शबनम के घर से कोई न्योता कभी नहीं होता। शबनम के मोबाईल का नम्बर नहीं बता सकता। मैने शबनम को अपना मोबाईल नम्बर नहीं दिया था। स्वतः कहा कि मेरा मोबाईल नंबर उसके पास था। शबनम को किसने मेरा मोबाईल नम्बर दिया था मैं नहीं बता सकता। इस घटना के बारे में किसी पुलिस अधिकारी ने मेरा कभी बयान नहीं लिया था, फिर कहा मैने सी.ओ. साहब को बयान दिया था। मैने सी.ओ.साहब को शबनम का मोबाईल नम्बर बताया था। गवाह को उसका धारा 161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि सी.ओ.साहब ने मेरे बयान में शबनम का मोबाईल नंबर नहीं लिखा है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। मैने सी.ओ.साहब को अपनी मोबाईल का काल–डिटेल नहीं दिखाया था कि शबनम का फोन आया था। घटना की सूचना मिलने के तुरन्त बाद मैं घर से निकल गया था। रेशमा के ससुराल जाने के पहले मैं मछलीशहर थाने में घटना की सूचना देने गया था। रेशमा के घर पुलिस 16 तारीख को दोपहर दो–तीन बजे आयी थी। रेशमा के ससुराल मेरे पहुचने के एक डेढ़ घंटा बाद फिर कहा कि पौने दो घंटा बाद मेरे बहनोई वगैरह आये थे। जब मैं रेशमा के ससुराल पहुंचा तो खुर्शीद व शहबाज नहीं थे। खुर्शीद के बहने वहॉ नहीं दिखायी दी। जबतक मैं रेशमा के ससुराल पुलिस के आने तक था पास पड़ोस के लोगों से मिला था सबका नाम नहीं बता सकता,

केवल एक लोग का नाम बता सकता है। जब मैं रेशमा के ससुराल पहुंचा था तो रेशमा की लाश चारपाई पर लेटाई हुयी थी और जिस कमरे में लेटाई हुयी थी उस कमरे में कूड़ा, करकट था। चारपाई पर उसका पैर दक्षिण व सिर उत्तर तरफ था। जिस कमरे में रेशमा की लाश थी उसके पूरब आगन, पश्चिम किसी और का मकान था, उत्तर एक रूम था और दक्षिण गलियारा था। मुझें यह याद नहीं है कि रेशमा किस रंग का कपड़ा पहने हुयी थी। विवेचक को दौरान विवेचना मैने बताया था कि रेशमा के बांये हाथ में खून का थक्का जमा हुआ था। गवाह को उसका बयान धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उपरोक्त खून वाली बात दरोगा जी ने मेरे बयान में क्यों नहीं लिखे मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। जब मैं रेशमा के ससुराल पहुंचा था तो वहॉ पर आसपास के करीब 50 लोग मौजूद थे। वहॉ पर लोग चर्चा कर रहे थे कि रेशमा की लाश फन्दे से उतारकर चारपाई पर लेटायी गयी है परन्तु मुझसे किसी ने नहीं बताया। यह कहना गलत है कि वहॉ पर उपस्थित लोगों ने मुझें बताया कि दरवाजा तोड़कर रेशमा की लाश फंदे से उतारकर चारपाई पर लेटायी गयी। मैने जो दिनांक 22.02.2018 को न्यायालय में अपने बयान में कहा था कि ''रेशमा के ससुराल जाने से पहले मैं मछलीशहर थाने में घटना की सूचना देने गया था, बाद में 9.00 बजे सुबह गया था''। मैंने ''मेरी भांजी रेशमा की शादी दिनांक 07.11.2012 को खुर्शीद .... के साथ हुयी थी'' विवेचक को उनके न पूछने के कारण नहीं बताया था। जो मैने बयान में शादी में सामान देने की बात कही है वह मैने नहीं खरीदा था मेरे बहनोई ने खरीदा था, कहॉ से खरीदा था मैं नहीं बता सकता। गवाह को उसका बयान धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ववेचक ने मेरे बयान में ''शादी में दहेज का पूरा सामान टी0 वी0, फ्रिज, बेड, कूलर व बर्तन वगैरह आलमारी, बाक्स आदि दिया गया था'' यह क्यों नहीं लिखा है इसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकता। मैने दरोगा जी को बयान दिया था ''शादी में विदा होकर रेशमा ससुराल गयी उस समय ससुराल में सबकुछ ठीक था''अगर दरोगा जी ने मेरे बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में उपरोक्त बात नहीं लिखी तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। शादी के बाद पली बार रेशमा अपने ससुराल एक दिन रही। पहली बार ससुराल से विदा होकर रेशमा मायके आयी तो लगभग 4—5 दिन रही। मुझें यह ध्यान नहीं है कि रेशमा को पहली बार मायके से ससुराल वदा कराकर कौन ले गये। मुझें यह जानकारी नहीं है कि खुर्शीद व खुर्शीद के पता मुम्बई में बैग बनाने का काम करते थे सुना था कि दूसरे के यहॉ काम करते थे किसके यहॉ काम करते थे मैं नहीं बता सकता। मुम्बई में खुर्शीद के पिता कहॉ रहते थे य भी नहीं मालुम। खुर्शीद के पता की मृत्यु कब हुयी मैं नहीं बता सकता। घटना के पूर्व मैने कभी भी किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी को इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था कि रेशमा के ससुराल वाले रेशमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते है फिर कहा कि लेकिन उसे प्रताड़ित करते थे। यह कहना सही है कि मैं कोई विशिष्ट तिथि नहीं बता सकता कि रेशमा के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए कब प्रताड़ित करते थे।

इसी साक्षी ने जिरह में आगे यह भी कथन किया है कि मैने दरोगा जी को बयान दिया था कि ''उनके पिता अयाज की मृत्यु के बाद रेशमा के ससुराल के पति खुर्शीद ....मोटर

साईकिल की मांग को लेकर मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे''। गवाह को उसका धारा 161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैने दरोगा जी को बयान दिया था उन्होने बयान में क्यों नहीं लिखा इसकी वजह नहीं बता सकता। रेशमा उपरोक्त बाते मुझें किस तारीख को बतायी थी वह मैने न दरोगा जी को बतायी न ही अदालत में बतायी। मैने प्रताड़ना व दहेज मांगने के सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी को मालुम होने पर कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया। यह कहना सही है कि रेशमा मेरी सगी भान्जी नहीं थी। यह कहना गलत है कि मैने जो बयान दिनांक 07.12.17 को न्यायालय में दिया वह कानूनी राय मशविरे से दिया है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने रेशमा से कभी कोई दहेज की मांग नहीं किया तथा दहेज की मांग को लेकर रेशमा को प्रताड़ित भी नहीं किया। रेशमा खुर्शीद के साथ बम्बई जाकर रहना चाहती थी। यह भी कहना गलत है कि घटना के कुछ दिन पूर्व खुर्शीद रेशमा को छोड़कर अपने भाई शाहबाज के साथ बम्बई चला गया क्योंकि उसे दूसरा कमरा किराये पर नहीं मिला था। यह भी कहना गलत है कि रेशमा बम्बई न जा पाने के कारण क्षुब्ध व परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। घटना के दिन व समय पर शाहबाज व खुर्शीद बम्बई में थे। यह भी कहना गलत है कि रेशमा ने मुझें कभी भी मुल्जिमान द्वारा दहेज मागने या प्रताड़ित करने वाली बात नहीं बतायी थी।

12. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–3 अमीन अन्सारी** ने परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि आफताब मेरे दूर के रिश्तेदार है। आफताब की लड़की का नाम रेशमा था। रेशमा की शादी मछलीशहर में खुर्शीद के साथ हुयी थी। घटना की तारीख याद नहीं है। आज से तीन–चार साल पहले की घटना है। मुझें ढाई–तीन बजे के आसपास आफताब ने मछलीशहर से फोन पर बताया कि मेरी लड़की को उसके ससुराल के खुर्शीद व उनके परिवार वाले मार डाले। उसके बाद मुझसे कहे कि तुम मछलीशहर आ जाओ, घर से मैं 6.30 बजे बाइक से निकले। साढ़े नौ बजे सुबह मैं मछलीशहर पहुंचा तो मैने फोन किया कि कहॉ हो तो आफताब बोले कि मैं कोतवाली में हूं। कोतवाली पहुंचा तो बताये कि एफ0 आई0 आर0 हो रहा है। वहॉ से एफ0 आई0 आर0 होने के बाद वहॉ से पुलिस वाले खुर्शीद के घर आये और साथ में मैं भी खुर्शीद के घर आया। उसके बाद हमलोग खुर्शीद के घर में गये। घर में एक गली थी, गली में पूरब तरफ सामने एक दरवाजा था उसी दरवाजे के पीछे कमरे में रेशमा की लाश लेटायी गयी थी। उस लाश का पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे सामने हुयी उसमें मुझें पंच बनाया गया और उस पर मेरा हस्ताक्षर बनवया गया। पंचायतनामा मुझें पढ़कर सुनाया गया। मेरे अलावा वहॉ पर मदीना बेगम, बरकत अली, सैयद अली और एक औरत को पंच बनाया गया। पत्रावली में शामल पंचायतनामा का0 सं0–7क/1 लगायत 7क/2 को देखकर साक्षी अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

13. साक्षी ने **जिरह** में कथन किया है कि वादी आफताब आलम मेरे बुआ के पति है। मेरे बुआ का नाम महरूम है। रेशमा के मरने की सूचना मुझें किस मोबाईल नंबर से मिला था मैं नम्बर नहीं बता सकता। सी.ओ.साहब को मैने अपना मोबाइल नहीं दिखाया था कि इस नंबर से

मुझें फोन आया था। सूचना मिलने क तुरन्त बाद मैं रेशमा के ससुराल नहीं गया। मैं दूसरी बार धटना के दिन रेशमा के ससुराल गया था। पहली बार मैं रेशमा के ससुराल भात खाने गया था तारीख नहीं मालूम। थाने पर मैं लगभग पौना आधा घंटा रूका था। थाने पर मुझसे पुलिस ने किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कराया था। रेशमा की लाश मैने देखी थी, मुझें यह याद नहीं है कि रेशमा किस रंग का कपड़ा पहनी थी। उसके शरीर पर कोई गहना वगैरह था या नहीं, मुझें याद नहीं है। उसका शरीर किस दिशा में रखा था यह भी याद नहीं है। विवेचक को मैने रेशमा के शरीर पर कोई चोट वगैरह नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि आफताब मेरे रिश्तेदार नहीं है। यह भी कहना गलत है कि मैं पेशेवर गवाह हूं। यह भी कहना गलत है कि मैं नाजायज लाभ लेकर मुकदमें में बल देने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूं।

14. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–4 डा0 एस0 पी0 नारायण** ने परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 16.04.2015 को मेरी डियूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी थी। मेरे साथ डा0 राकेश कुमार यादव भी थे। हमलोगों को 11 पुलिस प्रपत्रों के साथ मृतक रेशमा पत्नी खुर्शीद, निवासी उमराना चौक, थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर उम्र 24 वर्ष जिसके शव का कां0 राधेश्याम व कां0 महफूज हासमी द्वारा लाया गया था तथा मदीना बेगम पत्नी रहमुद्दीन व आमीन अंसारी पुत्र सुलेमान अंसारी द्वारा शव का पहचान कराया गया था। मृतका सामान्य कद काठी की थी। उसकी उंचाई 152 सेमी0 व वजन 50 किग्रा0 थी। मध्यम औसत कद काठी की थी। मृतका के शव पर समीज, सलवार और ब्रा था। मृत्यु के पश्चात परिवर्तन अपर लिम्ब में अकड़न पूरी हो चुकी थी और लोवर लिम्ब में पास हो रही थी। मृतका की वाह्य दिखावट सामान्य थी। आंखे बन्द थी। मुंह से खून लगा हुआ झांग आ रहा था। लार मुंह के दाहिने तरफ से आ रही थी।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें–</u>

1– इन कम्पलीट लाइगेचर मार्क थाईराइड और चिन के बीच आब्लीकली और उपर की तरफ मौजूद थी जिसकी साइज 26 X 1 सेमी0 और इण्टररप्टेड 8 सेमी. गर्दन के पीछे जो गर्दन के बायें तरफ पीछे मौजूद थी जो दाहिने कान से 6 सेमी. और बायें कान से 4 सेमी. आन व सेक्शन निशान इकाइमोज हर्ड लेदरी और पार्चमेंट की तरफ थी।

<u>आन्तरिक परीक्षणः–</u>

1. मस्तिष्क की झिल्लिएँ। कन्जेस्टेड
2. मस्तिष्क कन्जेस्टेड
3. दॉत 16/16 मौजूद थे।
4. कण्ट नली व स्वर नली कन्जेस्टेड
5. ग्रीवा अन्तरिक उतकों कन्जेस्टेड
6. हाइवायड बोन इन्टैक्ट थाइराइड अन्य उपास्थि कन्जेस्टेड
7. भोजन की नली कन्जेस्टेड
8. श्वास नली व वायु प्रणाली के कोष्टक कन्जेस्टेड
9. प्लुरा कन्जेस्टेड

10. फेफड़ें कन्जेस्टेड
11. हृदय का दाहिना चेम्बर आधा भरा हुआ और बाया चेम्बर आधा खाली था।
12. बड़ी रक्तवाहिनीया कन्जेस्टेड
13. पेरिटोनियम और पेरिटानियल कन्जेस्टेड
14. आमाशय खाली
15. छोटी ऑत में गैस और बड़ी ऑत में गैस व मल
16. यकृत कन्जेस्टेड और गाल ब्लेडर पित्तरस के भरा हुआ
17. प्लीहा कन्जेस्टेड, गुर्दे कन्जेस्टेड

18– जनंनाग नान ग्रैविड यूटरस

मृत्यु की सम्भावित समय लगभग डेढ़ दिन। मृत्यु का कारण एण्टीमार्टेम हैंगिग के कारण दम घुटने की वजह से होना पाया गया। शव विच्छेदन आख्या डा० राकेश कुमार यादव के हस्तलेख में है जिस पर उनका हस्ताक्षर बना हुआ है और मैं उनके राय से सहमत होने के बाद अपना हस्ताक्षर बनाया था। साक्षी को का0 सं0–12क/1 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यही शव विच्छेदन आख्या है जो मेरे समक्ष तैयार हुआ था तथा तैयारकर्ता डा० राकेश कुमार यादव के हस्ताक्षर के बाद मैने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। साक्षी ने का0 सं0–12क/2 को देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। शव विच्छेदन के उपरान्त शव विच्छेदन आख्या की दो प्रति एवं 11 अन्वेषण प्रपत्र शव को का० राधेश्याम व का० महफूज हासमी के सुपुर्द किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

15. इसी साक्षी ने **जिरह** में कथन किया है कि मृतका के शरीर पर मुझें कोई चोट का निशान नहीं मिला था। हमलोगों के सामने पुलिस द्वारा कोई ऐसी वस्तु नहीं दी गयी जिससे मृतका द्वारा आत्महत्या किया गया हो। इस समय भी मेरे सामने कोई ऐसी वस्तु नहीं है। यह कहना गलत है कि हमलोग वादी के नाजायज प्रभाव में आकर शव विच्छेदन रिपोर्ट तैयार किया है। प्रदर्श क–2 मेरे हस्तलेख में नहीं है।

16. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–5 अरविन्द कुमार मिश्र** ने परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 16.04.15 को मैं बहैसियत नायब तहसीलदार मछलीशहर के पद पर तैनात था मुझें थाना मछलीशहर से मोबाईल पर सूचना मिली थी कि थाने पर दर्ज दहेज हत्या के मुकदमें में मृतका रेशमा पत्नी खुर्शीद निवासी उमराना चौक, थाना मछलीशहर, जौनपुर के पंचायतनामा की कार्यवाही की जानी है। उक्त सूचना के आधार पर मैं घटना स्थल पर पहुंचा था, जहाँ पहले से ही उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय हमराही पुलिस के साथ मौजूद थे। विनय कुमार सिंह द्वारा मेरी उपस्थिति में शव का निरीक्षण किया गया था तथा मैंने वहां मौजूद लोगो में से पाँच लोगो को पंच नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ किया। दौरान पंचायतनामा मृतका का शव कमरे के अन्दर चारपाई पर सिर जानिब उत्तर, पैर दक्षिण, दोनों बॉहे पहलू में अगुलियॉ अन्दर को मुड़ी हुयी, दोनो पैर सीधा तथा गर्दन दाहिने तरफ

मुड़ा हुआ था, आँख व मुँह बन्दचित अवस्था में मौजूद था, मृतका की चोटों का निरीक्षण विनय कुमार सिंह उप निरीक्षक द्वारा बलिहाज पर्दा उसकी दादी मदीना बेगम व सजीरूल बेगम से उलट पलट कर किया गया तो कोई जाहिरा चोट नहीं थी। गर्दन में दाहिने तरफ आधे गर्दन तक नीलगू निशान पड़े थे। सब पंचों की राय ली गयी उनकी राय मेरी राय से मेल खाती थी इसलिये शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। साक्षी को का0 सं0–7क/1 लगायत 7क/2 दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर कहा कि यही वह पंचायतनामा अभिलेख है जो मेरे बोलने पर एस0 आई0 विनय कुमार सिंह द्वारा लिखा गया था तथा इस पर मेरे हस्ताक्षर है तथा मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली का0 सं0–10क दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह फोटोनाश है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली का0 सं0–11क दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह नमूना मोहर मैने मौके पर तैयार किया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर है और मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श–क–7 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली का0 सं0–4क दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाला प्रपत्र है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली का0 सं0–9क दिखाया गया तो साक्षी ने इस पर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया जो आरक्षी मृतका का शव लेकर गये थे से सम्बन्धित है जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

17. इसी साक्षी ने **जिरह** में कथन कया है कि मुझे पंचायतनामा मुरत्तव करने के लिये कागजात नहीं मिले थे, फोन से सूचना मिली थी। मुझें फोन से सुबह 8 बजे सूचना मिली थी। मुझें एस0 डी0 एम0 साहब ने आदेशित किया था, मुझें मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले थे गले पर रस्सी के निशान था। मैने पंचायतनामा में रस्सी का जिक नहीं किया है। मुझें मौके पर रस्सी और दुपटटा दोनों मिला था। मैने उसका कोई फर्द नहीं बनाया था और न ही कब्जे में लिया था। रस्सी और दुपट्टा इस वक्त मेरे सामने भी नीं है। रस्सी दुपट्टा मैने किसी को नहीं दिया था। पंचायतनामा करते समय मृतका का बाप वॉ मौजूद था कि नहीं मुझें नहीं मालुम। यह कहना गलत है कि मैने पंचायतनामा की कार्यवाही होते वक्त मौके पर मौजूद था।

18. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–6 एस. आई. विनय कुमार सिंह** ने परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 16.04.2025 को मैं थाना मछलीशहर में एस.आई.के पद पर तैनात था। उस दिन रपट नं0–14 समय 9.30 बजे मु0 अ0 सं0–251/15 धारा 498ए, 304बी. भा0द0सं0 व 3/4 डी.पी.एक्ट में मृतका रेशमा पत्नी खुर्शीद निवासी–उमराना चौक, थाना–मछलीशहर, जौनपुर के शव का पंचायतनामा घटनास्थल पर ही मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार मिश्रा के दिशा निर्देश पर पंचान नियुक्त करके अपने लेख में तैयार किया था और पंचायतनामा से सम्बंधित प्रपत्र फोटोनाश, नमूना मोहर, प्रपत्र सं0–33 व प्रपत्र सं.–13 तथा पत्र आर.आई. व अन्य प्रपत्र अपने लेख में तैयार किया था जिस पर मजिस्ट्रेट साहब ने अपना हस्ताक्षर बनाया था। उक्त प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जो मेरे लेख में है जिस पर पहले से प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–9 अंकित है। पत्र आर0 आई0 पर प्रदर्श क–10 डाला गया। बाद पंचायतनामा

शव व उससे सम्बंधित कागजात कां0 राधेश्याम व कां0 महफूज हासमी को शव विच्छेदन हेतु सौप दिया था। पंचायतनामा पर हमराही कर्मचारीगण व पंचान तथा मजिस्ट्रेट तथा मैने अपना हस्ताक्षर बनाया था। शव को दौरान पंचायतनामा सफेद कपड़े में सीलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया था। उसी दिन मजिस्ट्रेट की मौजुदगी में मुकदमा उपरोक्त में मृतका रेशमा द्वारा फांसी में प्रयुक्त दुपट्टा रंग लाल दो टुकड़े व रंग सफेद दो टुकड़े व रस्सी रंग काली समक्ष गवाहान की मौजूदगी में कब्जा पुलिस लिया गया था जिसे सर्वमुहर करके नमूना मोहर तयार किया था जिसकी फर्द अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करके गवाहो के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। फर्द गवाहों को पढ़कर सुनाया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त फर्द मेरे सामने है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क—11 डाला गया।

19. साक्षी ने अपनी **जिरह** में कथन किया है कि पंचायतनामा के वक्त मृतका के परिवार के मदीना बेगम, अमीन अंसारी, सकिरूल, बरकत अली व सैयद अली मौजूद थे। उपरोक्त पांचों पंचानो ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि मुल्जिमान मृतका से एवं उसके परिवार (मायके) वालो से दहेज की मांग करते थे। यह भी बयान नीं दिया था कि देज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते थे और जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर लिया। फोटोनाश में मु0 अ0 सं0 नहीं लिखा है। प्रदर्श क—9 में भी मु0 अ0 सं0 नहीं लिखा गया है। बरामदशुदा दुपट्टा के दो टुकड़े व रस्सी इस समय न्यायालय में मेरे सामने नहीं है। बरामदशुदा माल कहॉ से बरामद हुआ है इसका उल्लेख मैने प्रदर्श क—11 में नहीं किया था। मैं नहीं बता सकता कि मृतका ने दुपट्टा से फांसी लगाया था या रस्सी से फांसी लगाया था। यह कहना गलत है कि मैने वादी के प्रभाव में आकर फर्जी बरामदगी दिखाया है। यह भी कहना गलत है कि पंचायतनामा के समय इस घटना के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं थी।

20. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0—7 हेड कां0 रणजीत यादव** ने परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 16.04.2015 को कां0 मोहर्रिर के पद पर थाना मछलीशहर जौनपुर में तैनात था। उस दिन वादी आफताब आलम की लिखित तहरीर पर मु0 अ0 सं0—251/15 धारा 498ए, 304बी. भा0 द0 सं0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट में खुर्शीद, शहबाज, साइना, सगुफा व रूकसाना के विरूद्ध समय 9.30 बजे पंजीकृत किया था जिसकी मूल चिक कम्प्यूटर से टाइप कराया था, जिसकी मूल कायमी मै अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मूल के साथ ही कार्बन प्रति तैयार किया था। उक्त कायमी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी कार्बन प्रति व मूल चिक एफ0 आई0 आर0 पत्रावली पर उपलब्ध मेरे सामने है। मूल चिक एफ0 आई0 आर0 प्रदर्श क—12 व कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क—13 है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

21. साक्षी ने अपनी **जिरह** में कथन किया है कि मूल जी.डी. इस समय मेरे सामने नहीं है। इसलिये मैं यह नहीं बता सकता कि इस घटना के पूर्व कोई संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध मेरे थाने पर दर्ज हुआ था। यह कहना गलत है कि मैने चिक एफ0 आई0 आर0 व कायमी जी0 डी0 एन्टीटाईम व एन्टीडेटेड दर्ज किया है।

22. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–8 राम प्रसाद सिंह यादव (सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक)** ने परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि मैं दिनांक 16.04.15 को सी.ओ. मछलीशहर के पद पर कार्यरत था। मु0 अ0 सं0–251/15 धारा 498ए, 304बी. भा0 द0 सं0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट थाना मछलीशहर जौनपुर के वादी मुकदमा आफताब आलम की तहरीर पर दिनांक–16.04.2015 को दर्ज हुआ, विवेचना हेतु सुपुर्द हुयी। दिनांक 16.04.15 को पर्चा नं0–1 में नकल चिक, रपट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक कां0 मु0 रणजीत यादव विवेचना के क्रम में वादी का बयान घटनास्थल पर जाकर लिया तथा वादी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मानचित्र का0 सं0–5क अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो प्रदर्श क–14 है तथा मौके से ही एक दुपट्टा व रस्सी कब्जा पुलिस में लेकर फर्द एस. आई. विनय कुमार सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है फर्द की नकल सी.डी.में किया तथा फर्द के गवाह रमजान अली, मोहम्मद मुस्लिम का बयान लिया। दिनांक 21.04.15 को पर्चा नं0–2 किता किया जिसमें थाना कार्यालय से मृतका रेशमा के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर इन्द्राज सी.डी. में किया। मृतका के शव का शव विच्छेदन करने वाले डा0 राकेश कुमार यादव व पंचायतनामा करने वाले नायब तहसीलदार का बयान लिया तथा अभियुक्तगण की सम्भावित स्थान पर तलाश किया नहीं मिले। दिनांक 28.04.15 को पर्चा नं0–4 तथा दिनांक 29.04.15 को पर्चा नं0–5, व दिनांक 05.05.15 को पर्चा नं0–6 तैयार किया जिसमें वादी की पत्नी श्रीमती आसिफा, व पंचनामा के गवाहान श्रीमती मदीना, अमीन अंसारी व सैयद अली, बरकत अली तथा गवाह रमजान व मो0 मुस्लिम का बयान लिया तथा वादी द्वारा मृतका का शादी कार्ड उपलब्ध कराया गया जिसका इन्द्राज सी.डी. में किया। दिनांक 14.05.15 को पर्चा नं0–9 तैयार किया जिसमें वादी द्वारा मृतका रेशमा व खुर्शीद का निकाहनामा उर्दू में लिखित उसे उपलब्ध कराया गया जिनका इन्द्राज सी.डी. में किया तथा उस निकाहनामा का हिन्दी रूपान्तरण मेरे द्वारा सी.डी.में किया गया तथा शेष अभियुक्तगण की गिरफतारी हेतु तलाश किया नहीं मिले। दिनांक 16.05.15 को पर्चा नं0–10 किता किया जिसमें तलबशुदा कार्यालय में मौजूद शादी के अगुवा शबनम बानो का बयान लिया। दिनांक 02.07.15 को पर्चा नं0–17 जिसमें तमामी विवेचना गवाहों के बयानात व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण खुर्शीद, शाहबाज व रूकसाना के विरूद्ध जुर्म धारा 498ए, 304बी. भा0 द0 सं0 व 3/4 डी.पी.एक्ट का अपराध साबित पाते हुये चालान जरिये आरोप पत्र सं0–43/15 का0 सं0–4क न्यायालय में प्रेषित किया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया तथा अभियुक्तगण शायना व सगुफा के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रखी गयी।

23. इसी साक्षी ने **जिरह** में कथन किया है कि इस मुकदमें की विवेचना मैने कितने बजे प्रारम्भ किया था इसका उल्लेख केस डायरी में नहीं किया है। मैने तहरीर का अवलोकन किया था। तहरीर प्रदर्श क–1 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ''जब मेरी लड़की ससुराल में रहती थी ससुराल से फोन से मुझसे व परिवार वालों से बताती थी कि उपरोक्त ससुरालीजन.......मैं जाकर अपनी लड़की के ससुराल ....मेरी हैसियत नहीं है''। तहरीर प्रदर्श क–1 में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि ''दिनांक 14.04.15 को मेरी बेटी से फोन से..........मैं शादी में व्यस्त हूं बाद में

आऊंगा ''। वादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिा में भी उपरोक्त बाते मुझें नहीं बताया था। किस पड़ोसी ने व किस नम्बर से दिनांक 15.04.15 को वादी को सूचना दिया था यह बात वादी ने मुझें नहीं बताया और न ही इस बात का उल्लेख तहरीर प्रदर्श क–1 में है। वादी ने न तो अपने तहरीर में और न ही मुझें बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में यह बताया है कि'' जब मैं पहुंचा तो रेशमा के घर वाले मौजूद थे वहॉ मैं पड़ोसियों से पूछा तो.........लटका कर मार डाला''। घटना स्थल का नरीक्षण मैने कितने बजे किया उसका उल्लेख सी.डी. में नहीं किया है। रेशमा का ससुराल घनी आबादी में है। मैने रेशमा के ससुराल के पास–पड़ोस के किसी व्यक्ति से घटना के सम्बन्ध में पूछतांछ नहीं किया। उसकी लाश फन्दे से किसने उतारा था इसकी जानकारी मुझें नहीं है। मैने वादी आफताब आलम के रिश्तेदार रमजान अली, मो0 मुस्लिम का बयान लिया है। इन लोगों ने मुझे दहेज की मांग व प्रताड़ना के विषय में कुछ नहीं बताया है। मैने पंचायतनामा का अवलोकन करने के बाद उसकी नकल सी.डी. में किया है। पंचान में मृतका की दादी मदीना बेगम व मृतका के रिश्तेदार अमीन अंसारी, बरकत, सैयद अली आदि है इन लोगों ने भी दहेज की मांग व प्रताड़ना के विषय में नहीं बताया है। पर्चा नं0–5 में मैने इस बात का उल्लेख किया है कि रेशमा के मोबाईल नं0 पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मो0 नं0–82860115649 से वार्ता होने की बात संज्ञान में आने का उल्लेख है। इनका आई.डी. निकालने के लिये एस.पी. के यहॉ प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु न तो मैने काल डिटेल, न ही आई.डी. के सम्बन्ध में प्राप्त किया। मैने रमजान का बयान अंकित किया है। इन्होंने मुझे अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग व प्रताड़ना के विषय में कुछ नहीं बताया है। मैने अभियुक्त खुर्शीद व शहबाज का बयान अंकित किया है। इन लोगों ने मुझें बताया था कि दिनांक 03.04.15 को मुम्बई में थे जहॉ–2 वह लोग लेडिज पर्स बनाने का कार्य करते थे। मैने मृतका के निकाह के अगुआ श्रीमती शबनम बानो का बयान दिनांक 16.05.15 को अंकित किया है, उसने अपने बयान में बतायी है कि शादी के समय कोई लेनदेन के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। राजी–खुशी से रेशमा की बिदाई हुयी थी तथा मृतका रेशमा अपने ससुराल में आकर खुशी जाहिर करती थी। मृतका रेशमा का पति खुर्शीद रोजी रोटी के सम्बन्ध में मुम्बई में काम करता था। वह कुछ ही दिन पहले अपने गांव आय था। मृतका ने अपने पति के साथ मुम्बई जाने के लिए बात कही थी। उस पर खुर्शीद ने कहा मुझे कमरा ढूंढ़ लेने दो तब मैं तुम्हे लिवा ले जाउंगा तथा वह बम्बई चला गया। उसके बम्बई जाने के 10–11 दिन बाद रेशमा ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसने यह भी बताया था कि जिस कमरे में रेशमा रहती है उस कमरे का दरवाजा टूटा है। मुस्लिम का बयान लिया था उसने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह नहीं बताया था कि'' मेरी भांजी रेशमा की शादी........ और अपने मायके वालों से भी बताती थी''। उसने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में यह भी नहीं बताया था कि ''उसके ससुराल के बगल की है ने फोन करके......नतीजा आकर देख लीजिए''। इसने यह भी नहीं बताया था कि '' लाश पर दाहिने हाथ पर ब्लड का निशान था और कहीं मैने नहीं देखा''। दौरान विवेचना किसी भी गवाह ने मुझें दहेज मांगने व प्रताड़ना के बारे में कोई तिथि नहीं बताया। मैने दौरान विवेचना वादी के मोबाईल का काल डिटेल नहीं लिया था। यह

सही है कि विवेचना के दौरान इस बात की जानकारी हो गयी थी कि रेशमा मुम्बई जाना चाहती थी और कमरा मुम्बई में न मिल पाने के कारण और मुम्बई न जा पाने के कारण उसने आत्म हत्या कर लिया। यह कहना गलत है कि सही तथ्य की जानकारी होने के बावजूद वादी के प्रभाव में आकर मुल्जिमान के विरूद्ध गलत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

24. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0 प्र0 सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने वादी की पुत्री रेशमा का विवाह खुर्शीद के साथ होने व वादी की पुत्री की मृत्यु शादी के 07 साल के अन्दर ससुराल में होने के तथ्य को स्वीकार करते हुये शेष अभियोजन कथानक को गलत कहा एवं गलत प्रपत्र तैयार करना कहा तथा गवाहान द्वारा गलत गवाही देने व मृतका रेशमा द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करने का कथन किया गया है एवं सफाई में साक्ष्य देने का कथन किया और यह भी कहा कि वे निर्दोष हैं।

25. अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य के रूप में **डी0 डब्लू0–1 शबनम बानों** को परीक्षित किया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन की है कि खुर्शीद को मैं जानती हूं। खुर्शीद की शादी दिनांक 07.11.2012 को हुयी थी और शादी में मैं अगुवा थी। शादी में कोई दहेज की मांग नहीं हुयी थी। शादी के समय व शादी तथा मृतका की मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग नहीं थी। निकाह के दिन ही बिदाई हुयी थी। विवाह से जब ससुराल आयी तो उस बीच हमारी बातचीत नहीं हुयी थी। जब रेशमा से बातचीत हुयी तो उसने कहा कि मैं अपने ससुराल में बहुत अच्छी से हूं। खुर्शीद मुम्बई में बैंग बनाने का काम करता है। जब रेशमा के मृत्यु के पूर्व खुर्शीद किसकी शादी में आया था। मुझें जानकारी नहीं है कि रेशमा कब मरी थी और खुर्शीद मुम्बई जाने से पहले रेशमा से क्या बात किया था। जब रेशमा की मृत्यु हुयी उस समय खुर्शीद मुम्बई में था। रेशमा की मृत्यु की सूचना पर मैं वहॉ गयी थी तो देखा कि रेशमा जिस कमरे में फांसी लगा ली थी उसी कमरे में चारपाई पर रेशमा का शव रखा था। जिस कमरे में रेशमा लेटाई गयी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था। रेशमा खुर्शीद के साथ बम्बई नहीं गयी थी लेकिन जाने वाली थी। मैने रेशमा व खुर्शीद की शादी (निकाह) कराया था। घटना के सम्बन्ध में सी.ओ.साहब मुझसे पूछतांछ किये थे व मेरा बयान लिये थे।

26. इसी साक्षी ने अपनी **जिरह** में कथन किया है कि मैं मुस्लिम समुदाय में अंसारी समुदाय से हूं। खुर्शीद भी अंसारी है, मेरा अलवियाना मोहल्ला मछलीशहर व खुर्शीदा का मोहल्ला चौक मछलीशहर जौनपुर है। मेरा घर खुर्शीद के घर से काफी दूर है। मेरे घर से मार्केट या कहीं आने–जाने का रास्ता खुर्शीद के घर से नहीं जाता है। बगैर बुलाये व प्रयोजन के मैं खुर्शीद के घर नहीं जाती हूं। खुर्शीद के घर में उसके अन्दर क्या–2 हो रहा है मैं नहीं बता सकती। मेरे घर से खुर्शीद का घर नहीं दिखेगा। इसलिये मैं नहीं बता सकती कि खुर्शीद घर पर था या नहीं। निकाह के तीन साल के अन्दर यह घटना घटित हुयी थी। रेशमा फांसी लगाकर मरी थी। मैं यह नहीं बता सकती कि रेशमा को किसी ने फांसी पर लटका दिया या रेशमा ने फांसी लगा लिया। मैं नहीं बता सकती कि खुर्शीद, रेमा व रूकसाना में क्या बात होती थी। अगर रेशमा के घर वाले खुर्शीद, रेशमा व रूकसाना दहेज के लिए मारते–पीटते व प्रताड़ित करते रहे हो मैं नहीं बता सकती। रेशमा का

मायका गोपीगंज के पास लालानगर में है कौन सा जिला है मैं नहीं बता सकती। मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है कि रेशमा कितनी बार अपने ससुराल से अपने माये आयी गयी थी। मैं खुर्शीद के परिवार वालों से बहुत पहले से परचित हूं। मुस्लिम समुदाय के अंसारी समुदाय से मैं भी हूं खुर्शीद भी है। यह कहना गत है कि मैं खुर्शीद के परिवार से परिचत हूं एक ही उपसंप्रदाय की हूं इसलिये खुर्शीद व रूकसाना के कहने पर बयान देने आयी हूं। यह कहना गगलत है कि रेशमा के पति खुर्शीद, सास रूकसाना रेशमा से दहेज में हीरो सुपर स्पेलेण्डर की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह भी कहना गलत है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर दिनांक 15.04.2015 को खुर्शीद, रूकसाना व उनके परिवार वाले दहेज हत्या कर दिये। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण के प्रभाव में मैं झूंठा बयान दे रही हूं। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण के बहकावे के कारण क्षेत्राधिकारी को मैने सही बयान नहीं दिया था।

27. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्य्क रूप से परिशीलन किया।

28. अभियोजन पक्ष को समस्त युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह तथ्य साबित करना है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रेशमा से शादी के बाद दहेज के रूप में हीरो होण्डा मोटर साईकिल की मांग की गयी व दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुये उसे फांसी पर लटका कर उसकी दहेज मृत्यु/हत्या कर दी गयी।

29. अभियुक्तगण पर मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व उसको फांसी पर लटका कर उसकी हत्या करने का आरोप है।

30. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन कथानक को बखूबी साबित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा कहा गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–1 आफताब आलम, पी0 डब्लू0–2 मो0 मुस्लिम, पी0 डब्लू0–3 अमीन अंसारी ने अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग किया जाना तथा दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किये जाने तथा मांग पूरी न होने पर मृतका को फांसी पर लटका कर आत्महत्या कर दिये जाने के तथ्य को साबित किया है। साक्षी पी0 डब्लू0–4 डा0 एस0 पी0 नारायण द्वारा मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 के रूप में साबित करते हुये मृतका की मृत्यु एन्टीमार्टम हैंगिग के कारण दम घुटने की वजह से होना बताया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी. भा0 द0 सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302/34 भा0 द0 सं0 के आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित होना बताते हुये अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

31. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी अपराध साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से भी अभियुक्तगण के

विरूद्ध कोई भी अपराध साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य से दहेज के रूप में किसी मांग किये जाने व दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के तथ्य को साबित नहीं कर सका है। अभियुक्तगण को बेवजह मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है जबकि इनका कोई भी रोल अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया जा सका है। बचाव पक्ष का कथन है कि मृतका अपने पति के साथ बम्बई जाना चाहती थी किन्तु किराये का कमरा न मिल पाने के कारण उसका पति उसे लेकर बम्बई नहीं जा सका जिस कारण से मृतका नाराज हो गयी और उस नाराजगीवश उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समस्त अभियोजन कथानक संदिग्ध व सोच—समझकर लिखाया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

32. प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का केस है कि मृतका रेशमा का विवाह 07—11—2012 को खुर्शीद पुत्र अयाज के साथ हुआ था। शादी के बाद मृतका रेशमा के ससुराल वाले दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे व दहेज में मोटर साईकिल की मांग किया करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका रेशमा को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। रेशमा को उसका ससुर अयाज, पति खुर्शीद व सास रूकसाना, देवर शहवाज, ननद साइना व सगुफा मिलकर प्रताड़ित करते थे। मृतका दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने की बात अपने माता—पिता को बताती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना से एक दिन पूर्व मृतका ने अपने पिता को फोन कर प्रताड़ित करने वाली बात बतायी थी। उसके पिता के द्वारा कहा गया कि मैं शादी में व्यस्त हूं बाद में आउंगा किन्तु अभियुक्तगण द्वारा इसी दहेज की मांग को लेकर मेरी बेटी को फॉसी लगाकर जान से मार दिया गया।

33. मृतका की मृत्यु के पश्चात् उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि मृतका की मृत्यु फॉसी लगने पर दम घुटने के कारण हुयी थी।

34. जहां तक धारा 304बी भा0 द0 सं0 के अन्तर्गत दहेज मृत्यु का प्रश्न है। इस संबंध में धारा 304बी में यह प्रावधान है कि यदि किसी स्त्री की मृत्यु शादी के 07 वर्ष के अंदर जल जाने या शारीरिक चोट आने के कारण हुई है या सामान्य परिस्थिति के अलावा हुई है और यह दर्शित हो जाता है कि मृत्यु के शीघ्र पूर्व उसके पति या उसके पति के संबंधी के द्वारा दहेज की किसी मांग के संबंध में उसके साथ निदर्यता बरती गयी है तो उसे दहेज मृत्यु कहा जायेगा।

35. धारा—498ए भा०दं०सं० में कहा गया है कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

क— जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या

ख— किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाये या किसी स्त्री

को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

36. साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन को सामान्य नियम के अनुसार अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। धारा 304बी भा०द०सं० के अधीन यदि मृतका की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त होती है और यह तथ्य न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य से यह दर्शित करने में सफल हो जाता है कि मृतका को असामान्य मृत्यु के ठीक पहले पति या पति के संबंधी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में प्रताडना वरती गयी है तो सबूत का भार अभियुक्त को शिफ्ट कर जाता है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113बी के अन्तर्गत अभियुक्त को अपने को निर्दोष साबित करना होगा।

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **2008 (1) ए.ए.आर. 217 सु०को० श्री निवासुलु बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश** के मामले में यह उल्लिखित किया गया हैकि दहेज मृत्यु के अपराध के अनिवार्य अंश/तत्व निम्न हैं:–

1– स्त्री की मृत्यु दाह अथवा शारीरिक क्षति द्वारा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न कारित की जानी चाहिए।

2– ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए।

3– उसके पति या किसी नातेदार ने कूरता की हो या तंग या परेशान किया गया हो।

4– ऐसी क्रूरता या तंग करना दहेज की किसी मांग के लिए अथवा उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की गयी या उसे तंग किया गया था।

5– ऐसी क्रूरता या तंग किया जाना उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व किया जाना दर्शित किया जाये।

38. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की विधि व्यवस्था **2009 (64) एसीसी पेज–257 सु०को० तरसैन बनाम पंजाव राज्य** के मामले में यह अवधारित किया गया कि धारा 304बी भा०द०सं० के अपराध को साबित करने केलिए चार तत्वों को जो धारा 304बी के प्राविधान में उल्लिखित हैं, को अभियोजन पक्ष द्वारा अपनेसटीक सम्पोषणीय साक्ष्य से सिद्ध करना है।

39. इसके अतिरिक्त **2009 (1) सीसीएसजी पेज–163 सु०को० प्रेम कॅवर बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में भी इसी प्रकार की अवधारणा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दी गई अवधारणा के अनुसार अभियोजन पक्ष को संदेह से परे अपने सटीक साक्ष्य से धारा 304बी भा०द०सं० के चारों आवश्यक तथ्यों को सिद्ध करना होगा।

40. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक धारा 304बी भा०द०सं० के आवश्यक तत्वों को अभियोजन पक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत दहेज हत्या की उपधारणा नहीं की जा सकती।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अनुसार दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के बाबत प्राविधान किया गया है कि जब यह प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया गया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

42. इस प्रकार से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अन्तर्गत दहेज मृत्यु की उपधारणा की जा सकती है। जब किसी विवाहित स्त्री को मृत्यु उसकी ससुराल में सात वर्ष के भीतर अस्वाभाविक रूप से हुयी हो और उसके पति अथवा ससुराली रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया हो और तंग व परेशान किया गया हो।

43. दहेज हत्या के मामले में न्यायालय को इस बात की खोज करनी होती है कि जो मानववध हुआ है वह आत्महत्या के रूप में है अथवा किसी व्यक्ति के वाह्य प्रभाव के कारण उसकी मृत्यु कारित की गयी है, जहां किसी स्त्री की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के भीतर दहेज की मांग की प्रताडना के फलस्वरूप होतीहै, वहां अभियोजन को इस बात का सारगर्भित साक्ष्य देना होगा कि उक्त मृत्यु आत्महत्या अथवा स्त्री की मृत्यु मानव के कतिपय कृत्य के परिणामस्वरूप हुयी है। जब तक किसी व्यक्ति के विरूद्ध सारगर्भित व निश्चायक सटीक साक्ष्य से इस बात को सिद्ध नहीं किया जाता कि उसके द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के परिणामस्वरूप स्त्री की अस्वाभाविक मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के भीतर उसकी ससुराल में हुयी है और उक्त अस्वाभाविक मृत्यु आत्महत्या अथवा मानव वध थी तो धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत इस बात की उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्तगण के द्वारा दहेज हत्या की गयी हो।

44. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **राजस्थान राज्य बनाम तेज बहादुर 2005 एससीसी पेज–218** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दहेज संबंधित मामलों में सबूत का प्रारंम्भिक भार अभियोजन पक्ष पर ही होता है और उसके द्वारा विश्वसनीय साक्ष्यों से अपना मामला साबित किया जाना आवश्यक है अन्यथा धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान के अनुक्रम में दहेज हत्या की उपधारणा नहीं की जा सकती।

45. सामान्यतया साक्ष्य का भार उस पक्षकार पर होता है जो सारतः एक विशिष्ट उत्तरदायित्व को कथित करता है। सामान्य नियम यह है कि अभियुक्त को जब तक दोषी न साबित कर दिया जाये वह निर्दोष ही रहेगा। अतः अभियोजन का यह प्रारंम्भिक कर्तव्य है कि वह अपना मामला साबित करे और जब धारा 304ख भा०दं०सं० में प्रदत्त चारों आवश्यक तत्वों को अभियोजन पक्ष की ओर से सिद्ध कर दिया जाता है तो धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दहेज हत्या की उपधारणा की जायेगी।

46. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मृतका का विवाह अभियुक्त खुर्शीद के साथ दिनांक 07–11–2012 को हुआ है और मृतका की मृत्यु दिनांक 15–04–2015 को हुई है। अर्थात मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है। यह

तथ्य स्वीकृत व सुस्थापित है।

47. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मृतका रेशमा की मृत्यु दिनांक 15–04–15 को फॉसी लगाने के कारण हुयी है। जिससे स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है।

48. धारा 304बी भा0 द0 सं0 के चार आवश्यक तत्वों में से नम्बर–3 व 4 महत्वपूर्ण व आवश्यक तत्व हैं व घटना होने व घटना के कारण के मुख्य आधार के रूप में हैं। जिसमें अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना है कि मृतका की मृत्यु के शीघ्र पूर्व उस स्त्री के साथ, उसके पति अथवा पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण, निदर्यता पूर्वक व्यवहार किया गया हो या उसे प्रताड़ित किया गया हो। ऐसी निदर्यता का व्यवहार या प्रपीडन दहेज की मांग के सम्बन्ध में किया गया हो।

49. उल्लेखनीय है कि धारा 498ए व धारा 304बी भा0 द0 सं0 के आरोप के सृजन से सम्बन्धित क्रूरता ऐसी परिस्थिति है जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है और यह दहेज की मांग विवाह से लेकर मृत्यु तक जारी रहती है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आलोक में यह सिद्ध कर पाने में सफल रहे हैं कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार अथवा प्रताडना का व्यवहार किया गया। उल्लेखनीय है थ्क धारा 304ख भा0 द0 सं0 व धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत एक आवश्यक तत्व दोनों में ही शामिल है कि क्या सम्बन्धित मृतका की मृत्यु के ठीक पहले उसे प्रपीडित किया गया था अथवा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था और इस प्रकार का संव्यवहार वस्तुतः दहेज की मांग को लेकर किया गया था। धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा किया जाना एक विधिक तत्व है और धारा 304ख भा0 द0 सं0 के आरोप के सृजन के तथ्यों के साबित होने पर न्यायालय के लिये अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज हत्या कारित करने का तथ्य उपधारित किया जाना बाध्यकारी हो जाता है। धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम व धारा 304ख भा0 द0 सं0 को संयुक्त रूप से सम्मुख पटल पर रखकर साक्ष्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया किये जाने पर यह आवश्यक है कि पत्रावली पर इस आशय का साक्ष्य उपलब्ध हो, जिससे अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर सके कि मृतका को उसकी मृत्यु के ठीक पहले प्रताड़ित किया गया था अथवा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। उक्त तथ्य का अभियोजन द्वारा साबित किया जाना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तथ्य है क्यों कि दहेज हत्या के मूल में शारीरिक, मानसिक या किसी प्रकार की प्रताड़ना मृत्यु के ठीक पहले क्रूरता अथवा प्रताड़ना का सिद्ध होना आवश्यक है और यह तथ्य साबित होने के बाद ही धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा की जा सकती है।

50. माननीय उच्चतम न्यायालय **हरजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2006 (1) सी०ए०आर० 49** तथा **कालिया पीरूमल आदि बनाम तमिलनाडु राज्य 2003 (4) ए०सी०सी० (एस०सी०) पेज–839** के मामले में यह अवधरित किया गया है कि अभियोजन के लिये यह बाध्यकारी हो जाता है कि वह यह सिद्ध करे कि मृत्यु के ठीक पहले मृतका के साथ

क्रूरतापूर्ण व्यवहार अभियुक्तगण के द्वारा किया गया था अथवा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया था और केवल ऐसी स्थिति में धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लाभ मिल सकता है।

51. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2014 (4) सी०सी०एस०सी० 2037 (एस०सी०) दिनेश बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन यह दर्शित करने के लिये बाध्य है कि केवल धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को आकृष्ट करने के लिये घटना के ठीक पूर्व क्रूरतापूर्ण व्यवहार अथवा उत्पीड़न था। **''ठीक पूर्व''** अपेक्षित शब्द जिस पर प्रत्येक मामले का विनिश्चय परिस्थितियों के अधीन विचार किये जाने की अपेक्षा की जाती है और ऐसा कोई कठोर नियम किसी सुनिश्चित समय को नियत करके अभिकथित नहीं किया जा सकता। **''ठीक पूर्व''** शब्द की अवधारणा प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर न्याालय द्वारा अवधारित किया जाये।

52. धारा 304बी भा0 द0 सं0 का आवश्यक तथ्य यह है कि क्या अभियुक्तगण के द्वारा मृतका से दहेज की मांग की गयी तथा दहेज की मांग पूरी न किये जाने पर मृतका को मुल्जिमान के द्वारा प्रताड़ित व परेशान किया गया और उसके विरुद्ध क्रूरता का व्यवहार किया गया और उपरोक्त क्रूरता का व्यवहार उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व किया गया है।

53. अग्रिम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका को मृत्यु के शीघ्र पूर्व उसके पति व उसके पति के संबंधी द्वारा दहेज की मांग की गयी तथा प्रताड़ित की गयी।

54. अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण पर लगाए गये आरोपों को साबित कराने के आशय से पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा अफताब आलम जो मृतका के पिता हैं को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी दिनांक–07.11.2012 को खुर्शीद पुत्र अयाज के साथ की थी। मेरी बेटी शादी से मरने के बीच 10–15 बार आयी थी। रेशमा जब भी ससुराल से आती थी तो बताती थी कि सुपर स्पलेंडर मोटर साइकिल की मांग को लेकर पति खुर्शीद देवर सहवाज, ननद सायना व सगूफा सास रुकसाना मारते पीटते व प्रताड़ित करते हैं। मेरी लड़की जब भी मायके आती थी तो परिवारवालों से रो–रो कर बताती थी कि ससुरालीजन उससे दहेज की मांग करते हैं। मैं अपनी लड़की को समझा–बुझाकर विदा करते था। जब मेरी लड़की ससुराल में रहती थी तो ससुराल से फोन से वह मुझसे बताती थी कि ये ससुरालीजन दहेज की मांग करते हैं। मैं जाकर अपनी लड़की के ससुरालीजन को समझा–बुझाकर आया कि अब मेरी दहेज देने की हैसियत नहीं है। दिनांक–14.04.2015 को मेरी बेटी ने फोन से बताया कि पापा अगर आप लोग नहीं आए तो ये लोग दहेज के लिए कुछ भी कर देंगे दिनांक–15.05.2015 को समय करीब 4–5 बजे शाम किसी पड़ोसी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी की तबियत बहुत खराब है। आप लोग तुरंत यहां पर चले आइये। इस सूचना पर जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पर मेरी बेटी का शव चारपाई पर रखा हुआ था। रेशमा के घर वाले मौजूद थे।

55. साक्षी पी0 डब्लू0–2 मोहम्मद मुस्लिम व पी0डब्लू0–3 अमीन अंसारी ने भी अभियोजन कथानक को पी०डब्लू०1 के द्वारा दिये गये बयानों का समर्थन किया है।

56. वादी मुकदमा के द्वारा थाने पर दी गयी मूल तहरीर में वादी मुकदमा का कथन है कि मैने अपनी लड़की की शादी दिनांक–07.11.2012 को खुर्शीद पुत्र आयाज के साथ किया था। शादी के बाद हीरो स्पलेंडर की मांग करते थे तथा न देने पर मेरी लड़की को सताते थे। साक्षी पी०डब्लू०1 ने भी अपने बयान में बताया कि मेरी बेटी से उसके ससुराल वाले मोटर साइकिल की मांग किया करते थे तथा उस मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। साक्षी पी०डब्लू०1 ने अपनी प्रति परीक्षा में बताया कि निकाह के पश्चात खुर्शीद व उसके परिवार वाले रेशमा को विदा करकर खुशी–खुशी अपने घर ले गये थे। उसने बताया कि निकाह के पश्चात और मरने के पूर्व रेशमा 20–25 बार सुसुराल से मायके व मायके से ससुराल गयी थी। जो नियत तारीख होती थी उसी दिन विदा होकर आती–जाती थी। साक्षी ने कहा कि यह कहना सही है कि रेशमा का जब मन होता था मायके आती थी, हम लोगों से मिलती थी और वापस ससुराल चली जाती थी। साक्षी पी०डब्लू०1 ने अपनी प्रति परीक्षा में बताया कि मैने खुर्शीद से निकाह के लिए हामी इसलिए भरी थी क्योंकि खुर्शीद अच्छा कमाता था। साक्षी ने बताया कि रेशमा को देखने खुर्शीद के परिवार वाले आए थे और रेशमा को देखते ही खुर्शीद के परिवार वाले हामी भर दी थी और निकाह तय हो गया था। साक्षी ने कहा कि हम लोग खुर्शीद व उनके परिवार वालों से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही निकाह किये थे। साक्षी ने बताया कि शादी में की गयी खातिरदारी से खुर्शीद व उसके परिवार वाले काफी खुश थे। इस प्रकार से इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त खुर्शीद अच्छा कमाता था, इसी कारणवश वादी के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त खुर्शीद से किया गया था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उसकी पुत्री निकाह से मरने के बीच अर्थात तीन साल के भीतर करीब 25 बार अपने मायके आयी थी। साक्षी ने यह भी बताया कि उसकी बेटी की जब भी इच्छा होती थी वह मिलने के लिए मायके आ जाती थी यदि अभियुक्त द्वारा मृतका को प्रताड़ित किया जाता या उसके साथ क्रूरता–पूर्वक व्यवहार किया जाता तो इस प्रकार राजी–खुशी मृतका का निर्बाध आवा–गमन अपने मायके में न हो पाता। साक्षी पी0 डब्लू0–1 ने अपने बयान में बताया कि उसकी बेटी के ससुराल वाले उससे दहेज में एक मोटर साइकिल की मांग करते थे, किन्तु साक्षी पी०डब्लू०1 के द्वारा अपने बयान में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त दहेज की मांग कब की गयी थी अथवा कोई विशिष्ट तिथि भी उसके द्वारा नहीं बतायी गयी। साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में बताया कि मैने कोई विशिष्ट तिथि दहेज मांगने की नहीं बताई थी तथा मैने दहेज मागने के बाबत घटना के पूर्व कोई प्रार्थना पत्र भी किसी अधिकारी को नहीं दिया था। शादी के कितने दिन बाद मेरी लड़की से दहेज मांगने की बात मुल्जिमानों द्वारा की गयी मैं नहीं बता सकता। इसी साक्षी ने अपनी जिरह में बताया मैने दौरान विवेचना विवेचक को यह बयान दिया था कि मेरी आर्थिक स्थिति मोटर साइकिल देने की नहीं थी। इस कारण मैने अपनी लड़की की शादी खाते–पीते सामान्य परिवार में किया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्वयं यह स्वीकार किया गया कि उसकी आर्थिक स्थिति मोटर

साइकिल देने की नहीं थी इस कारणवश उसके द्वारा अपनी पुत्री का विवाह खाते–पीते सामान्य परिवार में किया गया था। साक्षी पी०डब्लू1 ने अपने बयान में यह स्वीकार किया कि खुर्शीद अच्छा कमाता था व खुर्शीद की आर्थिक स्थिति अच्छी थी जबकि वादी मुकदमा की स्थिति अच्छी नहीं थी तब अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद मोटर साइकिल की मांग करना और उस मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करना सहज विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

57. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा के द्वारा अपनी तहरीर या न्यायालय में दिये बयान में कहीं भी नहीं कहा कि शादी में मुझसे दहेज की मांग की गयी थी तथा उनके द्वारा शादी में बतौर दहेज का सामान दिया था। साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने अपनी जिरह में बताया कि रेशमा को देखते ही परिवार वालों ने हामी भर दी थी और निकाह तय हो गया था हम लोगों ने भी खुर्शीद व उसके परिवारवालों से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद रेशमा का निकाह खुर्शीद से कर दिया। शादी में हमने बरातियों की अच्छी खातिरदारी की थी, शादी में की गयी खातिरदारी से खुर्शीद व उसके परिवारवाले काफी खुश थे। निकाह के पश्चात खुर्शीद व उसके परिवार वाले रेशमा को विदा कराकर खुशी–खुशी अपने घर ले गये। इस प्रकार वादी मुकदमा जो मृतका का पिता भी है इसके बयान से स्पष्ट है कि उक्त निकाह में दहेज की कोई मांग नहीं की गयी थी निकाह का सारा कार्यक्रम बड़ी खुशी–खुशी संपन्न हुआ था। खुर्शीद व उसके परिवार वाले रेशमा को खुशी–खुशी विदा कराकर अपने घर ले गये थे।

58. अभियोजन पक्ष का कथन है कि मृतका अपने ससुराल से फोन से बताती थी कि अभियुक्तगण दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते हैं। साक्षी पी0डब्लू0–1 अफताब आलम ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कहा कि जब मेरी लड़की ससुराल में रहती थी तो ससुराल से फोन से मुझसे व परिवारवालों से ससुरालवालों द्वारा दहेज की मांग वाली बात बताती थी। किंतु तहरीर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के द्वारा उक्त बातें अपने तहरीर में नहीं बताई थी। साक्षी पी0 डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में बताया कि मैने तहरीर प्रदर्श क–1 में यह नहीं लिखा था कि जब मेरी लडकी ससुराल में रहती थी तो ससुराल से फोन से मुझसे व परिवारवालों से उपरोक्त ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग वाली बात बताती थी। मेरी लड़की ने फोन से किस तारीख को दहेज मांगने वाली बात बताई थी वह तारीख मैने सीओ साहब को नहीं बताई थी। साक्षी पी०डब्लू1 का कथन है कि उसे व उसके परिवारवालों को फोन से बताती थी की दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया जाता है किंतु वादी द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य को बतौर साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।मृतका रेशमा की मां उसकी बहनें उसके भाई उसकी दादी को बतौर साक्षी पेश नहीं किया गया और न ही इसका कोई कारण बताया गया। साक्षी पी०डब्लू०8 विवेचक राम प्रसाद सिंह यादव ने अपने जिरह में बताया कि वादी मुकदमा ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161सीआरपीसी में मुझे नहीं बताया था कि उसकी बेटी ससुराल से कब फोन से ससुरालीजन द्वारा दहेज मांगी जाने वाली बात बतायी थी।

59. साक्षी पी०डब्लू०1 ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में बताया कि जब मैं अपनी पुत्री के घर पहुंचा तो वहां पर पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी बताये कि रोज मारपीट करते थे आज

करीब चार बजे खुर्शीद व उसके परिवार वाले दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसकी लड़की को फांसी पर लटकाकर मार डाले जब इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी तो साक्षी ने कहा कि मैने उपरोक्त पड़ोसियों वाली बात तहरीर प्रदर्श क–1 में भी लिखायी थी। जब साक्षी को तहरीर प्रदर्श क–1 पढ़कर सुनाई गयी तो साक्षी ने कहा कि उपरोक्त बातें मेरी तहरीर में कैसे नहीं लिखी गयी है, मैं कोई वजह नहीं बता सकता। साक्षी ने कहा कि मैने उपरोक्त बातें सी०ओ० साहब को बतायी थी की नहीं याद नहीं। जब गवाह को उसका बयान 161CrPc पढ़कर सुनाया गया तो उसमें उपरोक्त बातें नहीं लिखी थी, इस प्रकार साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि पड़ोसियों द्वारा बतायी जाने वाली बात उसके द्वारा तहरीर व अपने बयान अंतर्गत धारा–161 सीआरपीसी में भी नहीं कहा गया था बल्कि, उक्त कथन प्रथम बार उसके द्वारा न्यायालय में कहा जा रहा है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी बताया कि उपरोक्त बातें मुझे कौन पड़ोसी बताया था, उसका नाम नहीं बता सकता। उन पड़ोसियों को मैने विवेचक से नहीं मिलवाया था।

60. साक्षी पी0 डब्लू0–1 अपने बयान की मुख्य परीक्षा में यह भी बताया था कि दिनांक–15.04.2015 को शाम 4–5 बजे किसी पड़ोसी ने फोन करके बताया था की तुम्हारी बेटी रेशमा की तबियत बहुत खराब है आप लोग तुरंत चले आइये। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में बताया की दिनांक–15.04.2015 को किसके नंबर से फोन आया था मुझे नंबर याद नहीं है। जिस नंबर से फोन आया था वह मैने अपनी तहरीर में भी नहीं लिखवाई थी। विवेचक को भी मैने वह नंबर नहीं बताया था। खुर्शीद के किसी भी पड़ोसी को मैने अपना नंबर नहीं दिया था। पड़ोसी ने न तो अपना नाम बताया न तो मैने उसका नाम पूछा। साक्षी पी०डब्लू०8 जो इस मुकदमें के विवेचक हैं उनके द्वारा भी अपने बयान में बताया गया कि किस पड़ोसी से किस नंबर से दिनांक–15.04.2015 को वादी मुकदमा को सूचना दिया यह बात वादी ने मुझे नहीं बतायी थी और न ही इस बात का कोई उल्लेख तहरीर प्रदर्श क–1 में है।

61. अभियोजन पक्ष का कथन है कि मृतका के द्वारा अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व फोन करके बताया गया कि ससुराल वाले मोटर साइकिल व दहेज की मांग कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं आए तो ये लोग दहेज के लिए कुछ भी कर देगें। साक्षी पी०डब्लू०1 आफताब आलम ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक–14.04.2015 को मेरी बेटी ने फोन से बताया कि पापा अगर आप नहीं आए तो ये लोग दहेज के लिए कुछ भी कर देंगे। इसके बाद मैने बताया कि मैं शादी में व्यस्त हूँ। बाद में आऊंगा, किंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के द्वारा कहीं भी यह नहीं बताया गया कि उक्त फोन आने के बाद वादी मुकदमा के द्वारा अभियुक्तगण से व अपनी बेटी से कोई बात की गयी या नहीं, समझाया–बुझाया गया अथवा घर के किसी सदस्य को अपनी बेटी के ससुराल समाझाने–बुझाने हेतु भेजा गया या नहीं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि 14 तारीख को मृतका का फोन आने वाली बात वादी मुकदमा के द्वारा विवेचक से भी नहीं बतायी गयी थी। विवेचक साक्षी पी०डब्लू०8 राम प्रसाद सिंह यादव ने अपनी जिरह में बताया कि दिनांक–14.04.2015 को मृतका द्वारा वादी मुकदमा को फोन किये जाने वाली बात नहीं बतायी गयी थी। साक्षी ने कहा कि वादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161Cr.P.C. में उपरोक्त बातें मुझे नहीं बतायी गयी थी।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त बातें वादी मुकदमा के द्वारा अपने तहरीर में भी नहीं लिखायी गयी है। साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा कि फोन आने के बाद मैने परिवार व रिश्तेदारी के किसी सदस्य व किसी अन्य को रेशमा के ससुराल नहीं भेजा तथा खुर्शीद व उनके परिवार वालों को भी मैने फोन करके नहीं बताया। यदि मृतका द्वारा घटना के एक दिन पूर्व फोन करके वादी मुकदमा को उपरोक्त बातें बतायी गयी थी उसके बाद भी वादी मुकदमा का अपनी पुत्री या उसके ससुरालवालों को फोन करके न समझाना और परिवार के किसी सदस्य को वहां न भेजना संदेह उत्पन्न करता है। यदि दिनांक–14.04.2015को उसकी पुत्री का फोन वादी के पास आया था तो निश्चित ही वादी मुकदमा के फोन में काल डिटेल में उक्त बातें दर्ज होंगी किन्तु वादी मुकदमा के द्वारा अपने बयान की प्रति परीक्षा में कहा गया कि दिनांक–14.04.2015 को रेशमा का फोन आने की काल डिटेल मैने विवेचक को नहीं दिखाया था।

62. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करते थे साक्षी पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 मो० मुस्लिम ने भी अपने बयान में बताया कि अभियुक्तगण दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करते थे कितु इस मुकदमे के विवेचक पी0 डब्लू0–8 ने अपनी जिरह में बताया कि मैने वादी मुकदमा के रिश्तेदार रमजान अली व मो० मुस्लिम का बयान लिया है इन लोगों ने मुझे दहेज की मांग व प्रताड़ना के विषय में कुछ नहीं बताया है। साक्षी ने कहा कि पंचान में मृतका की दादी मदीन बेगम व मृतका के रिश्तेदार अमीन अंसारी आदी भी थे। इन लोगो ने भी दहेज की मांग व प्रताड़ना के विषय में कुछ नहीं बताया था। साक्षी पी0 डब्लू0–1 के द्वारा अपने बयान में यह बताया कि उसकी पुत्री निकाह से अपनी मृत्यु तक अर्थात करीब 3 साल के भीतर करीब 25 बार अपने मायके आयी थी व जो तारीख तय की जाती उसमें ही वह आती थी तथा जब उसकी इच्छा होती थी तब वह अपने मायके वालों से मिलने आती थी। मृतका की उक्त निर्बाध आवा–गमन की उक्त तिथियों से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था तथा उसे प्रताड़ित किया जाता था। साक्षी पी0 डब्लू0–1 ने अपने जिरह में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि अभियुक्तगण खाते–पीते घर के थे तथा अभियुक्त खुर्शीद अच्छा कमाता था इसी कारणवश वादी मुकदमा के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह उसके द्वारा किया गया था। साक्षी पी0 डब्लू0–1 ने अपने बयान में यह बात बताया कि जब उसकी लड़की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना वाली बात उसको बताती थी तो उसके द्वारा उसके ससुराल आकर ससुरालीजन को समझाया–बुझाया गया किंतु इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया कि मैं किन–किन तारीखों को आकर मुल्जिमानों को दहेज मांगने के लिए समझाया था। तिथि नहीं बता सकता। साक्षी ने कहा कि यह सही है कि मैने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में भी यह बात नहीं लिखायी है कि मैं जाकर अपनी लड़की के ससुरालीजन को समझाया बुझाया था कि अब मेरी हैसियत दहेज देने की नहीं है। साक्षी ने कहा कि मैने उपरोक्त बातें सीओ साहब को भी दौरान विवेचना नहीं बताया। साक्षी पी०डब्लू०1 ने अपनी जिरह में बताया कि मैं व मेरी औरत शकीरा, शबीर के लड़के जावेद की शादी में सिरकत की थी। शबीर, आयाज के सगे चाचा हैं। साक्षी ने

कहा कि मैं शादी में गया और दो दिन खुर्शीद के घर रुका था। खुर्शीद के घर पर खातिरदारी हुई थी। मीट बना था व मीट खिलाए थे। इस प्रकार साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि साक्षी अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री के ससुराल गया तो वहां उसकी अच्छी खातिरदारी हुई। इस प्रकार से वादी मुकदमा के पुत्री को उसके ससुराल में प्रताड़ित किये जाने की बात अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से साबित नहीं होती।

63. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा दहेज में मोटर साइकिल की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जाता था। साक्षी पी0 डब्लू0–1 द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में बताया गया कि दहेज की मांगने की कोई विशिष्ट तिथि मैं नहीं बता सकता पर वे शादी के बाद ही दहेज की मांग करने लगे, जबकि साक्षी पी0 डब्लू0–2 मो० मुस्लिम ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में बताया कि जब रेशमा (मृतका) शादी में विदा होकर ससुराल गयी उस समय ससुराल में सब ठीक था, जब तक खुर्शीद के पिता जीवित थे तब तक सब ठीक था उनके पिता आयाज की मृत्यु के बाद से रेशमा के ससुराल वाले पति खुर्शीद, सास रुकसाना, देवर शहबाज व ननद मोटर साइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। साक्षी पी0 डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में बताया कि रेशमा के ससुर आयाज को निकाह के एक साल बाद कैंसर हुआ था व उनका इलाज चल रहा था। इस प्रकार से दोनों साक्षियों के बयानों में विरोधाभाष है क्योंकि साक्षी पी० डब्लू०–1 का कथन है कि शादी के बाद से ही अभियुक्तगण दहेज की मांग करते थे, जबकि साक्षी पी० डब्लू०–2 का कथन है कि मृतका के ससुर आयाज की मृत्यु तक सब ठीक था उनकी मृत्यु के बाद ही दहेज की मांग होने लगी। साक्षी पी० डब्लू०–1 ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि आयाज को रेशमा की शादी के एक साल बाद कैंसर हुआ था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था।

64. साक्षी पी० डब्लू०–2 ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में बताया कि घटना की रात 8.30 बजे शबनम जो इस शादी की अगुआ थी, जो उसके ससुराल के बगल की थी उसने फोन करके मुझे बताया कि मोटर साइकिल न देने का नतीजा आकर देख लीजिए, उसको उसके ससुरालवाले मार डाले। जबकि इसी साक्षी ने अपनी जिरह में बताया कि शबनम का मोबाइल नंबर मैं नहीं बता सकता हूँ। मैनें शबनम को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था। शबनम को किसने मेरा मोबाइल नंबर दिया मैं नहीं बता सकता। इस साक्षी ने बताया कि मैनें सीओ साहब को शबनम का मोबाइल नंबर बताया था जब साक्षी को उसका बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि सी0 ओ0 साहब ने मेरे बयान में शबनम का मोबाइल नंबर नहीं लिखा है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। साक्षी ने कहा कि मैनें सीओ साहब को मोबाइल की काल डिटेल नहीं दिखाया था कि शबनम का काल आया था। बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में शबनम को बतौर साक्षी परीक्षित कराया गया। साक्षी डी0 डब्लू0–1 शबनम बानों ने अपने बयान में बताया कि शादी में मैं अगुआ थी, शादी में कोई दहेज की मांग नहीं हुई थी। शादी के समय व मृतका की मृत्यु के पूर्व भी दहेज की मांग नहीं हुई थी। इस प्रकार से साक्षी डी0 डब्लू0–1 के द्वारा शादी में दहेज की मांग किये जाने व शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर

प्रताड़ित किये जाने से स्पष्टता इंकार किया है।

65. यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा मृतका की मां या मृतका के भाई या बहन को साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया गया। साक्षी पी0 डब्लू0–2 के विषय में अभियोजन द्वारा बताया गया कि मृतका पी0 डब्लू0–2 मो० मुस्लिम की भांजी है। साक्षी पी0 डब्लू0–2 ने अपनी जिरह के पृष्ठ संख्या 02 में कहा गया कि मृतका मेरी सगी भांजी है। तत्पश्चात कहा कि यह कहना गलत है कि मृतका मेरी सगी भांजी नहीं थी। पुनः अपनी जिरह की पृष्ठ संख्या–09 में इस साक्षी द्वारा कहा गया कि यह सही है कि रेशमा मेरी सगी भांजी नहीं थी। साक्षी पी० डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि जब मैने लाश देखा थो तो हाथ पर ब्लड का निशान था। साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में बताया कि विवेचक को मैंने दौरान विवेचना बताया था कि रेशमा के दाहिने हाथ में खून का थक्का जमा हुआ था। इस संबंध में इस मुकदमें के विवेचक साक्षी पी0 डब्लू0–8 ने अपने बयान में कहीं नहीं बताया कि लाश पर दाहिने हाथ में ब्लड का निशान था। साक्षी पी0 डब्लू0–4 डा० एस. पी. नारायण जिनके द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम किया गया उनके द्वारा भी अपने बयान में कहीं भी नहीं बताया कि मृतका के हाथ पर कहीं चोट हो। मृतका का पंचायतनामा करने वाले साक्षी पी0 डब्लू0–5 अरविंद कुमार मिश्रा के द्वारा भी अपनी जिरह में बताया कि मुझे मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले थे। इस प्रकार से साक्षी पी0 डब्लू0–2 का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

66. अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि प्रस्तुत मामले में धारा 113 बी आकर्षित होगा तथा साबित करने का भार अभियुक्तगण पर है कि वे अपनी निर्दोषिता साबित करें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अनुसार दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के बाबत प्राविधान किया गया है कि ष्जब यह प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।ष

67. धारा 304 बी भा० दं० सं० व धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयुक्त शब्द "soon before her death" को किसी समय सीमा के साथ जोडकर नहीं लिखा जा सकता और न ही ऐसा कोई फार्मूला इस संबंध में दिया जा सकता है जो कि सभी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सके। उन शब्दों का आशय यह है कि मृतका की मृत्यु तथा मृत्यु से पूर्व कारित की गई क्रूरता के मध्य कोई संबंध स्थापित होना चाहिए और उनके मध्य तारतम्य होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु से तत्काल पूर्व या कुछ घंटे पूर्व मृतका के साथ आवश्यक रूप से क्रूरता कारित की गई हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि मृतका के साथ कारित क्रूरता के संबंध में दहेज की मांग होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 304बी भा० दं० सं० के अन्तर्गत एक ऐसा कानूनी अपराध सृजित किया गया है जिसमें कुछ लक्षणों के सिद्ध होने पर अपराधी को दण्डित किया जाना सम्भव है। इस धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के उपरान्त सात वर्षों के अंदर जलने या

शारीरिक चोटों या असामान्य परिस्थितियों में हो जाय और यह प्रदर्शित किया जाय कि मृत्यु के ठीक पूर्व उससे दहेज की मांग के लिए या दहेज के संबंध में उसके पति या पति के सम्बन्धी द्वारा प्रताडित किया गया तो उसे दहेज हत्या कहा जायेगा एवं उसके पति व उसके सम्बन्धी इस दहेज हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेगें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अन्तर्गत उपधारणा की व्यवस्था दी गयी है। परंतु इससे अभियोजन पक्ष धारा 304बी भा० द० सं० के अन्तर्गत अपराध के संघटकों को सिद्ध करने के अपने दायित्व से नहीं बच सकता है। अर्थात अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह सिद्ध करे कि धारा 304बी भा० दं० सं० के अन्तर्गत अपराध के सभी संघटकों को विधि के अनुसार संतोषजनक साक्ष्य के माध्यम से स्थापित कर दिया गया है तभी धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उपधारणा करने के लिए तत्पर होगा। यदि किसी भी संघटक को संतोषजनक साक्ष्य से स्थापित नहीं किया जाता है तो धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम का लाभ अभियोजन पक्ष नहीं ले सकता है। विधि व्यवस्था **बैजनाथ एवं अन्य बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश 2017 सीआरएलजे 179 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भा० दं० सं० की धारा 304बी व 498ए व साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी की विवेचना करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां पर मृतका को दहेज में कार की मांग किये जाने के सम्बन्ध में क्रूरता एवं प्रताडित किये जाने का अभियोग साक्षियों के साक्ष्य से समर्थित नहीं है बल्कि उनका साक्ष्य बचाव पक्ष के तर्क को बल प्रदान करता है कि दहेज की कोई मांग नहीं की गयी थी, अभियोजन पक्ष अपने मामले को सिद्ध करने में असफल रहा है कि यह आत्महत्या का केस है या मानव वध का केस है, क्रूरता एवं प्रताडित किये जाने के तथ्य के प्रत्यक्ष और ठोस साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी की उपधारणा का लाभ नहीं प्राप्त होगा, यह तथ्य कि अप्राकृतिक मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई थी, अपने आप में अभियुक्त को धारा 304 बी व धारा 498ए भा० दं० सं० के अपराध के लिए दोषी ठहराये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में भी अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मृतका से दहेज की मांग की जाती थी तथा दहेज की मांग को लेकर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता था तथा मृत्यु के ठीक पूर्व उससे दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किया गया हो। साक्षी पी0 डब्लू0–1 द्वारा अपने बयान में कहा गया कि दिनांक–14.04.2015 को मेरी बेटी ने फोन करके बताया था कि पापा अगर आप नहीं आए तो ये लोग दहेज के लिए कुछ भी कर देंगे किन्तु तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें ऐसी कोई भी बात अंकित नहीं है। विवेचक साक्षी पी0 डब्लू0–8 ने भी अपने जिरह में बताया कि दिनांक–14.04.2015 को मृतका द्वारा वादी मुकदमा को फोन किये जाने वाली बात वादी ने उसे नहीं बताई थी न ही वादी मुकदमा के द्वारा दिनांक–14.04.2015 को उसकी पुत्री का फोन आने के संबंध में कोई काल डिटेल ही विवेचक को दी थी। जहां तक वादी मुकदमा का अपने बयान में यह कथन की उसकी पुत्री अपने ससुराल से ससुरालजन द्वारा दहेज की मांग किये जाने वाली बात बताती थी। तब वादी द्वारा उसके ससुराल जाकर उन लोगों को समझाया गया किंतु वादी द्वारा अपनी तहरीर व विवेचक को दिये बयान में उक्त बातें व ससुराल जाकर समझाने वाली बात नहीं

कही है। उक्त कथन भी वादी मुकदमा के द्वारा अपनी तहरीर में कहीं भी यह बात नहीं कही गयी है। साक्षी पी0 डब्लू0–1 ने अपने बयान में स्वयं यह स्वीकार किया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह मोटर साइकिल देने की स्थिति में नहीं था, उसने अभियुक्त की अच्छी आर्थिक को देखते हुए ही अपनी बेटी का उससे विवाह किया था। साक्षी ने अपने बयान में यह बताया कि अभियुक्त खुर्शीद अच्छा कमाता था इस प्रकार से जब अभियुक्त की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है तथा वह अच्छा कमाता है तो शादी के बाद मोटर साइकिल की मांग विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार अभियोजन दहेज की मांग किये जाने व दहेज की मांग किये जाने को लेकर प्रताड़ित किये जाने के तथ्य को साबित नहीं कर सका है।

68. अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा फॉसी लगाकर उसकी दहेज हत्या करने का कथन किया गया है। इस संबंध में मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का बयान अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता हैं। साक्षी पी० डब्लू०–4 डा० एस.पी. नारायण ने अपने बयान में बताया कि मृतका की गर्दन पर लिगेचर मार्क था। डाक्टर ने बताया कि मृतका की मृत्यु (एन्टीमार्टम हैंगिंग) दम घुटने से होना संभव है। साक्षी ने अपनी जिरह में बताया कि इस मामले में मृतका की मृत्यु का कारण फंदे पर लटकने से दम घुटने से होना मिला था। शव पर इस गर्दन चोट के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी थी। इस प्रकार साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर गर्दन के चोट के अतिरिक्त कोई अन्य चोट नहीं पायी गयी। यदि मृतका को शारीरिक रूप से प्रताडित कर फॉसी पर लटकाया जाता तो उसके शरीर पर अन्य चोटें भी पायी जातीं। मृतका के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा मृतका को प्रताडित किये जाने की बात अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से कहीं भी साबित नहीं हो रही है। इस प्रकार अभियोजन यह साबित नहीं कर सका है कि मृतका की मृत्यु के ष्ठीक पूर्वष उसने दहेज की मांग की गयी और उसे प्रताडित किया गया हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से अपने साक्ष्य से संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जा सका कि मृतका के ससुरालीजन द्वारा मृत्यु के **"ठीक पूर्व"** उससे दहेज की मांग की गयी थी तथा मृत्यु के **"ठीक पूर्व"** दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता रहा है, इस संबंध में पत्रावली पर जो साक्ष्य आया है वह अत्यन्त ही सतही प्रकृति का है। ऐसा कोई ठोस साक्ष्य क्रूरता व प्रताडना के संबंध में अभियोजन साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। इसके विपरीत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि मृतका तथा अभियुक्तगण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

69. इस प्रकार से जो साक्ष्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा दिया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के जो कथन हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य व भ्रामक आरोप दहेज की मांग के संबंध में तथा प्रताड़ना के संबंध में लिखाये गये हैं। कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को दोषी करार देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार से अभियोजन पक्ष धारा 304बी भा0 द0 सं0 के चारों आवश्यक तथ्यों में से दहेज की मांग व उसके लिए प्रताडित किये जाने को अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध

कर पाने में असफल रहा है।

70. **श्यामलाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एआईआर 1997 सु०को० एस०सी० 1873** की विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवधारित किया गया है कि यदि धारा 304बी के सभी आवश्यक तत्व अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किये जाते तो धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज हत्या की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

71. इसी प्रकार से **गुरूदीप सिंह बनाम पंजाव राज्य (2012) 1 सु०को० केसेज (क्रिमिनल) 584** की विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया कि यदि धारा 304बी भा0 द0 सं0 के आवश्यक तत्वों में से कोई एक तत्व भी अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किये जाते तो धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा नहीं की जा सकती और न ही सबूत का भार बचाव पक्ष पर जायेगा।

72. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **वैजनाथ व अन्य बनाम मध्यप्रदेश सरकार (2017) 1 सु०को० केसेज 101** की विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि केवल अप्राकृतिक मृत्यु व विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु होने से ही धारा 304बी व धारा 498ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्धि साबित करने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को संदेह से परे साबित करना होगा कि मृतका को मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था। इसी प्रकार से **2015 सीआरएलजे 2593 मेजर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब** में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि जहां मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग व दहेज की मांग के संबंध में की गयी क्रूरता के संबंध में साक्ष्य नहीं है तो वहां ऐसे साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

73. इसी प्रकार से विधि व्यवस्था **भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2015 सीआरआईएलजे 1428 सु०को०** में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 304बी के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा किये जाने हेतु यह ठोस साक्ष्य होना चाहिए मृत्यु के कुछ समय पहले पीडिता के साथ क्रूरता व उत्पीडन का व्यवहार दहेज की मांग के संबंध में किया गया था, यह न्यायालय के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि वह यह अनुमान निकाले कि वह मृत्यु दहेज मृत्यु थीं। प्रस्तुत मामले में दहेज मांगने का तथ्य तथा पीडिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। अतएव दहेज मृत्यु की उपधारणा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत मामले में नहीं की जा सकती।

74. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्य एवं विवेचन के आलोक में धारा 304बी भा0 द0 सं0 के अपराध को साबित करने हेतु निर्धारित मानदंडों को अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त तर्कों से साबित नहीं किया है, इसलिए अभियुक्तगण खुर्शीद व रुखसाना के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 304बी भा0 द0 सं0 का पूर्णतया युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है।

75. जहां तक धारा 498ए भा0 द0 सं0 का प्रश्न है। चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा—304बी भा0 द0 सं0 साबित होना नहीं पाया गया है, इसीलिए धारा 498ए भा0 द0 सं0 का आरोप जो धारा 304बी भा0 द0 सं0 कि एक घटक के रूप में है, वह भी साबित होना नहीं पाया जाता है। क्योंकि दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किये जाने के तथ्य को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है, न ही मोटर साइकिल की मांग को साबित कर सका है और न ही इस मांग को लेकर मृतका के साथ प्रताडना को साबित कर सका है, इसलिए धारा 498ए भा0 द0 सं0 का आरोप भी अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है।

76. जहां तक धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रश्न है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3 के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् जो कोई भी दहेज लेता है या देता है अथवा लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह पांच वर्ष तक के कारावास या पन्द्रह हजार रूपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम के जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

77. दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्षतः वर या वधु के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से दहेज मांगता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास के कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा। जहां तक धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रश्न है, इस विन्दु को भी अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने पुष्ट व साबित नहीं किया है। न ही दहेज की मांग साबित है और न ही दहेज देने बाली बात ही साबित की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में से किसी ने भी यह साबित नहीं कहा कि शादी के समय अभियुक्तगण द्वारा उनसे दहेज की मांग की गयी थी। इसलिए अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण पर लगाया गया धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप भी युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है।

78. चूंकि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए भा0 द0 सं0 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों को अभियोजन पक्ष युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को धारा 304बी, 498ए भा0 द0 सं0 के तहत दोषसिद्ध किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया जाता है।

79. यह प्रश्न अभी भी विद्यमान है कि क्या मृतका के द्वारा आत्महत्या की गयी व क्या उक्त आत्महत्या मृतका के पति या उसके किसी संबंधी द्वारा दुष्प्रेरित थी। यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्त खुर्शीद के मकान के कमरे में फॉसी लगाने से हुयी है। यह भी तथ्य स्वीकृत है कि मृतका की मृत्यु शादी के 07 वर्ष के भीतर फॉसी लगाने से हुयी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क (विवाहित महिला के द्वारा की गयी आत्महत्या के निमित्त दुष्प्रेरण की उपधारणा) में यह प्रावधान उपबन्धित है कि जहां प्रश्न यह है कि क्या किसी महिला द्वारा की गयी आत्महत्या उसके पति अथवा उसके पति के किसी संबंधी के द्वारा दुष्प्रेरित थी और यह दर्शित

किया जाता है कि उस महिला ने अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति अथवा उसके पति के ऐसे किसी संबंधी ने उसे क्रूरता के अधीन रखा था, वहां न्यायालय उस मामले के अन्य समस्त परिस्थितियों को ध्यान देते हुये यह धारणा बनायेगा कि वह आत्महत्या महिला के पति अथवा पति के ऐसे संबंधी द्वारा दुष्प्रेरित थी।

80. धारा 113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा किये जाने के प्रावधान के बारे में उपबन्धित करती है। यदि मृतका के पति या उसके नातेदार द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी क्रूरता वरती गयी जिसके कारण मृतका के द्वारा आत्महत्या की गयी। इस क्रूरता के संबंध में न्यायालय को विचार करना है।

81. इस धारा में क्रूरता शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अन्तर्गत है। धारा 498ए भा0 द0 सं0 में यह उल्लिखित किया गया है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री का जीवन अंग या स्वास्थ्य को जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है।

82. इस परिपेक्ष्य में न्यायालय को यह देखना है कि क्या जो अभियोजन साक्ष्य आया है, उससे यह दृष्टिगत होता है कि कोई क्रूरता अथवा कोई आचरण अभियुक्तगण द्वारा किया गया हो जिससे मृतका को मानसिक या शारीरिक आद्यात पहुंचा हो और उक्त आचरण ऐसी प्रकृति का था जिससे मृतका आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुयी हो।

83. अब तक की अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया हो। प्रस्तुत मामले में जो साक्ष्य आया है, उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को प्रताडित किया गया हो, उसके साथ क्रूरता की गयी हो या मुल्जिमानों के द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया हो। अभियोजन साक्ष्य व सफाई साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतका अपने पति व सास–ससुर के साथ खुश थी। मृतका अपनी शादी से लेकर अपनी मृत्यु तक अर्थात तीन साल के भीतर 25 बार अपने ससुराल से अपने मायके आयी–गयी उसकी जब इच्छा होती थी वह अपने परिवारवालों से मिलने अपने मायके चला आती थी ससुरालवालों को द्वारा उसके आवा–गमन पर कोई रोक नहीं लगायी गयी। मृतका के माता–पिता जब अपनी बेटी के ससुराल गये तो वहां भी उनकी अच्छी खातिरदारी हुई और वे लोग वहां खुशी–खुशी रहे। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि मृतका को क्रूरता के अधीन रखा गया हो या अभियुक्तगण द्वारा कोई उत्प्रेरणा की गयी हो।

84. प्रस्तुत मामले में जो साक्ष्य आया है उसमें कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि मुल्जिमानों के द्वारा मृतका के साथ क्रूरता बरती गयी हो और उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो। अभियोजन साक्ष्य व सफाई साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मृतका व उसके पति के संबंध मधुर थे व सौहार्दपूर्ण थे। इस प्रकार से अभियोजन पक्ष कहीं भी यह साबित

नहीं कर सका कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो।

85. अभियुक्तगण के विरूद्ध विकल्प में धारा 302 सपठित धारा 34 भा0 द0 सं0 का आरोप विरचित किया गया है। अभियोजन पक्ष का कथन है कि अभियुक्तगण के द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतका की फॉसी लगाकर उसकी हत्या कर दी गयी।

86. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रस्तुत मामले में जब मृतका रेशमा की मृत्यु हुयी उस समय वह अपनी ससुराल में अर्थात अभियुक्तगण की अभिरक्षा में थी। अभियुक्तगण के मकान के कमरे में मृतका फॉसी पर लटकती हुयी पायी गयी। अतः अभियुक्तगण को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मृतका रेशमा की मृत्यु किन परिस्थितियों में और कैसे हुयी। क्योंकि यह ऐसा तथ्य था जो अभियुक्तगण के संज्ञान में था।

87. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार–जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

88. जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उसको साबित करने का भार उस पर है। यदि अभिकथन की विषयवस्तु पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की विशेष जानकारी या ज्ञान में है तो उस विषयवस्तु को साबित करने का भार उसी पक्षकार पर रहेगा। चाहे उस विषयवस्तु का स्वरूप सकारात्मक हो या नकारात्मक या उसके विरूद्ध विधि की कोई उपधारणा भी क्यों न हो। यह उस पक्षकार के जिसे मामले की संपूर्ण परिस्थितियों का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है, आबद्ध कर कर्तव्य है कि वह अपनी ओर से साक्ष्य दे।

89. यह सही है कि मृतका मृत्यु के समय अपने पति के मकान में थी, अर्थात अपने पति के संरक्षण में थी। अभियोजन साक्ष्य व बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सफाई साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से कोई दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही दहेज की मांग के लिए मृतका को प्रताडित किया गया।

90. बचाव पक्ष का कथन है कि मृतका अपने पति के साथ बम्बई में रहना चाहती थी, किन्तु किराए का कोई कमरा न मिल पाने के कारण खुर्शीद उसे अपने साथ मुम्बई नहीं ले सका, जिससे नाराज होकर मृतका के द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। वादी मुकदमा पी० डब्लू०–1 के द्वारा भी अपनी जिरह में इन बातों से स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया गया है वादी मुकदमा द्वारा अपनी जिरह में कहा गया कि मुझे नहीं मालूम कि रेशमा खुर्शीद के साथ मुम्बई में रहना चाहती है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि किराये का कमरा न मिल पाने के कारण रेशमा खुर्शीद के साथ नहीं जा सकी, मुझे यह भी नहीं मालूम कि इस बात से रेशमा काफी नाराज और क्षुब्ध हो गयी थी और मुम्बई न जा पाने के कारण उसने आत्महत्या कर लिया। अभियोजन के द्वारा मृतका की माता को बतौर साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। विवाहित लड़की का स्नेह अपने माता से अलग होता है ऐसी कई बातें हैं जो वह अपनी माता को बिना किसी संकोच के बता सकती है किन्तु अभियोजन के द्वारा उसकी माता को न्यायालय में पेश नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई कारण बताया गया की मृतका की माता को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित क्यों नहीं कराया गया। किसी भी मुकदमें में उसकी सत्यता जानने हेतु ही पुलिस द्वारा उसकी विवेचना

की जाती है। धारा–304बी भा0 द0 सं0 के प्रकरण में सी० ओ० स्तर के अधिकारी द्वारा उसकी विवेचना की जाती है। विवेचक ही वह व्यक्ति होता है। जो घटनास्थल पर जाता है। आस–पास के लोगों का बयान अंकित कर घटना के तह तक पहुंचता है। अतः ऐसे प्रकरणों में विवेचक का बयान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साक्षी पी0 डब्लू0–8 जो इस मुकदमें के विवेचक हैं, उसने अपने बयान में बताया कि शबनम बानों ने अपने बयान में बताया था कि मृतका का पति खुर्शीद रोजी–रोटी के संबंध में मुम्बई में काम करता था मृतका ने अपने पति के साथ मुम्बई जाने की बात कही थी उस पर खुर्शीद ने कहा था कि मुझे कमरा ढूँढ लेने दो तुम्हे ले चलूँगा तथा वह मुम्बई चला गया उसके मुम्बई जाने के 10–12 दिन बाद रेशमा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी। इस साक्षी ने अपने जिरह में यह बताया कि यह सही है कि विवेचना के दौरान इस बात की जानकारी हो गयी थी कि रेशमा मुम्बई जाना चाहती थी और मुम्बई में कमरा न मिल पाने के कारण और मुम्बई न जा पाने के कारण उसने आत्महत्या कर लिया था। इस प्रकार विवेचक के बयान से यह स्पष्ट है कि विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना जब घटना की सत्यता जानने हेतु आस–पास के लोगों से पूछताछ की तो विवेचक को यह जानकारी हो गयी थी कि मुम्बई ना जा पाने के कारण ही रेशमा ने आत्महत्या कर ली।

91. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु फॉसी लगाने के कारण दम घुटने से होना कहा गया है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर पी0डब्लू0–4 ने अपने बयान में बताया है कि मृतका कि मृत्यु एन्टीमॉटम हैगिंग से दम घुटने से होना संभव है। मृतका के शव पर गर्दन के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य भाग पर कोई चोट नहीं पायी गयी थी। यदि अभियोजन के कथनानुसार अभियुक्तगण मृतका को फॉसी पर लटकाया जाता तो मृतका अवश्य ही अपना बचाव करती यदि मृतका को शारीरिक रूप से प्रताडित कर फांसी पर लटकाया जाता तो उसके शरीर पर अन्य चोटें भी पायी जाती। मृतका के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं हैं। साक्षी पी० डब्लू0–5 जिनके द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी, ने अपने बयान में बताया कि मृतका के शरीर पर कोई गहरा चोट के निशान नहीं मिले थे, गले पर रस्सी का निशान था। इस प्रकार पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि मृतका को प्रताडित किया गया हो तथा अभियुक्तगण द्वारा मृतका को फांसी पर लटका दिया गया हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 302 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० के अपराध के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कडी को जोडने व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः असफल रहा है।

92. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा–34 भा०दं०सं० के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

93. उपरोक्त समस्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए भा0 द0 सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा0 द0

सं0 को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर मृतका को मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने की बात को साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्ष्यों से किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक प्रताडना व क्रूरता अभियुक्तगण के द्वारा किया जाना साबित नहीं है। दहेज की मांग करने और दहेज लेने के बिन्दु को भी अभियोजन पक्ष उपरोक्त विवेचनों के आलोक में साबित करने में असफल रहा है। चूंकि धारा 304बी भा0 द0 सं0 का आरोप साबित नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में धारा 498ए भा0 द0 सं0 का अपराध भी साबित होना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धारा 304बी भा0 द0 सं0 के घटक के रूप में ही धारा 498ए भा0 द0 सं0 को वर्णित किया गया है। अभियोजन की ओर से धारा 304बी भा0 द0 सं0 के विकल्प के रूप में धारा 302 सपठित धारा 34 भा0 द0 सं0 का जो आरोप अभियुक्तगण पर हत्या करने का लगाया गया है, उसे भी अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्षियों व प्रदत्त साक्ष्यों के आलोक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से नहीं दर्शाया गया है जो मृतका के द्वारा की गई आत्महत्या को हत्या की श्रेणी में लाकर खडा कर सके। जहां कोई स्वतंत्र व प्रत्यक्ष साक्षी उपलब्ध न हो, जहां परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना हो, वहां अभियोजन पक्ष का गुरूतर दायित्व बनता है कि वह घटना की समस्त कड़ियों और परिस्थितियों को क्रमवार जोड़कर उसे मूर्तरूप प्रदान करें लेकिन अभियोजन अपने इस दायित्व के निवर्हन में पूर्णतया असफल पाया गया है।

94. अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण खुर्शीद व रुकसाना के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी एवं वैकल्पिक 302 सपठित धारा 34 भा0 द0 सं0 तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप को अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

(ए) अभियुक्तगण–खुर्शीद एवं रूकसाना को मु0 अ0 सं0–251/2015 थाना–मछलीशहर, जिला जौनपुर में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा–498ए, 304बी. एवं वैकल्पिक 302 सपठित धारा 34 भा0 द0 सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

(बी) सभीं अभियुक्तगण जमानत पर हैं और न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानत पत्र निरस्त करते हुए जामींदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता हैं।

(सी) अभियुक्तगण द्वारा धारा–437ए दं0 प्र0 सं0 का अनुपालन किया जा चुका है, जो निर्धारित अपीलीय अवधि तक प्रभावी रहेगा।

(पशुपति नाथ मिश्रा)
दिनांक 10.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट नं0–2
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6446

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

(पशुपति नाथ मिश्रा)
दिनांक 10.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कोर्ट नं0—2
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0—यू.पी. 6446